

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 461
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

461. श्री अरुण भारती:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई धनराशि का माहवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में शामिल नदियों और खंडों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अपनाए गए मानदंड क्या हैं;
- (ग) एनआरसीपी के अंतर्गत नदियों में विशेष रूप से बिहार राज्य में अशोधित मलजल और औद्योगिक अपशिष्टों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) प्रमुख नदी क्षेत्रों में बेहतर जल गुणवत्ता और जैव विविधता बनाये रखने में एनआरसीपी के अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार एनआरसीपी के अंतर्गत नदी संरक्षण में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को शामिल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ङ): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों का प्राथमिक दायित्व है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में पानी छोड़ने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्रावों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के माध्यम से गंगा बेसिन में और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश की अन्य नदियों/सहायक नदियों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर बिहार राज्य सहित अन्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सहायता प्रदान कर रही है।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नदी प्रदूषण उपशमन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाता है और इन्हें एनआरसीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए इस मंत्रालय

के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रस्तावों पर योजना दिशा-निर्देशों की अनुरूपता के तहत विचार किया जाता है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन/निष्पादन का कार्य राज्य सरकार के विभागों के अंतर्गत आता है और भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की अंतरिम प्रगति की समीक्षा करने के पश्चात स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों को निधियां वितरित की जाती है। पिछले 2 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट और राज्यों को दिए गए मासिक संवितरण का विवरण अनुलग्नक-1 में संलग्न हैं।

प्रस्तावों पर एनआरसीपी की संबंधित स्कीम के दिशा-निर्देशों के आधार पर विचार किया जाता है जिन्हें निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है -

<https://nrcd.nic.in/writereaddata/FileUpload/Guidelines for Report Preparation under NRCP NGR A Dec%202010.pdf>

एनआरसीपी के अंतर्गत 1995 इसके प्रारंभ से विभिन्न नदी क्षेत्रों के प्रदूषण उपशमन के लिए राज्यों द्वारा चिह्नित परियोजनाएं, स्वीकृत की गई हैं। ये परियोजनाएं 17 राज्यों के 100 शहरों में 57 नदियों पर स्थित थीं।

औद्योगिक बहिस्त्रावों के मामले में, औद्योगिक इकाइयों को नदियों और जल निकायों में डालने से पहले निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने बहिस्त्रावों का शोधन करना होता है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां बहिस्त्राव निस्सारण मानकों के संबंध में उद्योगों की मॉनिटरिंग करती हैं और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अंतर्गत अनुपालन न करने वाले उद्योगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करती हैं।

बिहार राज्य पूर्णतः गंगा बेसिन में आता है। बिहार राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 803 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की शोधन क्षमता वाली 38 सीवरेज अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 341 एमएलडी क्षमता की 18 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा कर ऑपरेशनल कर दिया गया है।

एनआरसीपी के अंतर्गत, अब तक, अन्य बातों के साथ-साथ, 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है जिसके परिणामस्वरूप, नदियों में अशोधित सीवेज के प्रत्यक्ष निस्सारण में कमी आई है जिससे उनकी जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी पारिस्थितिकी पुनः बहाल हुई है। एनआरसीपी के अंतर्गत शामिल नदी क्षेत्रों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

राज्य सरकार के विभागों द्वारा, भूमि की उपलब्धता, प्रदूषण स्तर आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर, परियोजना और प्रौद्योगिकी की पहचान की जाती है।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत माह-वार आबंटित, स्वीकृत, संवितरित और उपयोग की गई निधियां

माह	जारी/वितरित/उपयोग की गई निधि / (करोड़ रुपये में)		
	2022-23	2023-24	2024-25 (दिसंबर, 2024)
आवंटित/स्वीकृत निधियां	449.02	432.01	591.12
अप्रैल	-	-	-
मई	-	-	-
जून	1.07	-	-
जुलाई	-	-	-
अगस्त	10.00	-	-
सितंबर	63.00	76.91	77.33
अक्टूबर	27.99	27.14	66.25
नवंबर	92.25	23.74	22.50
दिसंबर	24.67	29.17	10.00
जनवरी	-	-	-
फरवरी	-	142.78	-
मार्च	213.95	91.49	-
कुल:	432.93	391.23	176.08

'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 461 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

इस समय एनआरसीपी के अंतर्गत आने वाली नदियों और नदी क्षेत्रों का विवरण:

क्र.सं.	राज्य	शामिल की गई नदियाँ / नदी क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश	गोदावरी
2	तेलंगाना	गोदावरी और मुसी
3	जम्मू और कश्मीर	देविका, तवी, झेलम और बाणगंगा
4	झारखंड	सुबर्णरेखा
5	गुजरात	साबरमती, मिंडोला और तापी
6	गोवा	मंडोवी और जुआरी
7	कर्नाटक	तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी और पेन्नार
8	महाराष्ट्र	गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा और मूला-मुट्टा और नागा
9	मध्य प्रदेश	वैनगंगा, नर्मदा और ताप्ती
10	मणिपुर	नांबुल, इम्फाल-मणिपुर
11	ओडिशा	ब्राह्मणी, महानदी तटीय क्षेत्र (पुरी)
12	पंजाब	घग्गर, ब्यास और सतलुज
13	राजस्थान	जोजरी
14	तमिलनाडु	अड्यार, कुम, वैगई, वेन्नार, कावेरी और ताम्रभारणी
15	केरल	पंबा, चित्रपुझा और पेरियार
16	सिक्किम	रानी चू, तीस्ता, रंगित
17	नागालैंड	दीफू और धनसिरी, चेथे, जुंगकी, गारू, मेलक, तापी, पुण्योगानमोंग, केलेरेउ, सेजू और तिजू, डोनयुंगशुमंग, मुत्सुम, माराचू और तिजू

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 686
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

व्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति बंद करना

686. श्री अरूण गोविल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) व्यास और सतलुज नदियों से भारत के हिस्से में से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति कब तक बंद कर दी जाएगी;
- (ख) क्या सरकार का विस्थापित लोगों को जल विद्युत परियोजनाओं की नहरों में मछली पालन के लिए पट्टा देने का विचार है ताकि विस्थापित लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिल सके; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): सतलुज और व्यास नदियों का पानी मानसून के मौसम के अलावा पाकिस्तान की ओर नहीं बहता, अर्थात्, बाढ़ आने पर जब इन नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है। ऐसी स्थिति असाधारण परिस्थितियों में या छोटे समय के मानसून के दौरान ही उत्पन्न होती है जब बांधों द्वारा संग्रहित जल का स्तर बहुत बढ़ जाता है और बांधों की सुरक्षा के लिए पानी छोड़ा जाना अपेक्षित हो जाता है।

(ख) और (ग): भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 समुचित क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता अधिकार के अनुसार क्षतिपूर्ति के पैकेज के अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है कि "सिंचाई या जलविद्युत परियोजनाओं के मामलों में, प्रभावित परिवारों को उपर्युक्त सरकार द्वारा निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार जलाशयों में मछली पालन का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्स्थापना और विकास योजना) नियम, 2015 में आगे उल्लिखित है कि मछली पालन के अधिकार मत्स्य विभाग द्वारा सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग या सरकार के किसी अन्य संबंधित विभाग के साथ परामर्श करके प्रदान किए जाएंगे।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 684
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

684. :श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपयोग:शोधित जल के पुन (एनएमसीजी), जैवविविधता - संरक्षण और प्रदूषित नदी क्षेत्रों के उपचारण में योगदान दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ताजे जल पर निर्भरता को कम करने के लिए किन जल का किन क्षेत्रों में शोधित अपशिष्ट-उपयोग किया जा सकता है:पुन?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जी हां। भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत उपचारित जल के पुन:उपयोग, जैव-विविधता संरक्षण और प्रदूषित नदी क्षेत्रों के सुधार को बढ़ावा दे रही है। गंगा बेसिन में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा सुरक्षित उपचारित जल के पुन:उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय संरचना भी विकसित की गयी है, जिसमें राज्यों को उनकी जल की पुन:उपयोग संबंधी नीतियों को तैयार करने में दिशानिर्देशन करने और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग के लिए एक आर्थिक मॉडल स्थापित करने का कार्य शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपचारित जल का सुरक्षित रूप से पुन:उपयोग करने के संबंध में शहरी नीति निर्माता और शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका भी जारी की है, जिसका लक्ष्य ताजा जल संसाधन को संरक्षित करना और सतत जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

2. उल्लेखनीय रूप से, ट्रांस यमुना एसटीपी से 8 एमएलडी उपचारित जल की नॉन-पोटेबल उद्देश्यों के लिए मथुरा रिफाइनरी और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली तथा जोजोबेरा थर्मल पावर प्लांट के दो थर्मल प्लांट को आपूर्ति की जाती है, झारखंड भी नजदीकी एसटीपी के उपचारित जल का उपयोग कर रहा है।

3. **जैव-विविधता संरक्षण:** उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश (3), बिहार (1) और झारखंड (1) में 5 प्राथमिक आर्द्रभूमियों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

4. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राज्य वन विभाग के माध्यम से गंगा नदी की मुख्य धारा के साथ एक वानिकी कार्यकलाप परियोजना क्रियान्वित की गई है। कुल 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 398 करोड़ रुपये के खर्च से वन रोपण कार्य किया गया है।

5. वर्ष 2017 से गंगा नदी में कुल 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंगस रैंचिंग की गयी है ताकि मछली की जैव विविधता बनाई रखी जा सके और नदी डॉल्फिन के लिए उसका प्रे बेस को संरक्षित रखा जा सके, और साथ ही केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा लागू विशेष परियोजना के तहत गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

6. प्रदूषित नदी क्षेत्रों के सुधार के लिए कुल 203 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं 32,613 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई हैं, जिनकी उपचार क्षमता 6,255 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) है। 3,446 एमएलडी की क्षमता के साथ 127 एसटीपी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और चालू कर दी गई हैं।

7. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए, 3 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) को मंजूरी दे दी गई है, अर्थात्, जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंठेर सीईटीपी (4.5 एमएलडी), और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। दो परियोजनाएँ, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं।

(ग): भारत सरकार द्वारा ताजे पानी पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न गैर-पेय योग्य पानी के उद्देश्यों के लिए, विशेष रूप से औद्योगिक उपयोग, रेलवे, थर्मल पावर प्लांट, नगरपालिका उपयोग, सिंचाई उपयोग आदि के लिए उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 682
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।
.....
राज्य और जिला यमुना समितियों की स्थापना

682. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जिला गंगा समितियों की तर्ज पर राज्य और जिला यमुना समितियों का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए गंगा नदी की सफाई के प्रयासों में इसी प्रकार की जिला गंगा समितियों द्वारा निभाई गई भूमिका के बावजूद ऐसी समितियों का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यमुना नदी के संरक्षण के लिए निगमित क्षेत्र के वित्तीय और तकनीकी दोनों अंशदानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): दिनांक 7 अक्टूबर 2016 की प्राधिकरण अधिसूचना के अनुसार, राज्य गंगा पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन समिति और जिला गंगा समितियों (डीजीसी) का गठन हर निर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन करने के लिए किया जाना अपेक्षित होता है।

(घ): स्वच्छ गंगा निधि (सीजीएफ) दिनांक 21.01.2015 को स्थापित की गई ताकि इसमें प्रवासीय भारतीय, देशी और विदेशी कॉर्पोरेट, अप्रवासीय भारतीय (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) गंगा नदी के संरक्षण प्रयासों में योगदान कर सकें।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 679
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

सीजीडब्ल्यूए और सीजीडब्ल्यूबी में श्रमशक्ति की कमी

679. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा हाल ही में केन्द्रीय भूमि-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के प्रशासनिक कार्यकलाप किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्मिकों की कमी के कारण सीजीडब्ल्यूए और सीजीडब्ल्यूबी अक्षम हो रहे हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
- (ङ.) क्या सीजीडब्ल्यूबी में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप देकर नए पदों का सृजन कर दिया जाएगा?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है, जिसे देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और संवर्धन के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को जल शक्ति मंत्रालय के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। चूंकि भूजल विनियमन के लिए हाइड्रोजियोलॉजी, स्थानीय जलाशय की क्षमता आदि का गहन ज्ञान भी अपेक्षित है, अतः इस कार्य के लिए सीजीडब्ल्यूबी के अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) से (छ): जी नहीं।

मंत्रालय ने फीडर संवर्ग से पदोन्नति के साथ साथ सीधी भर्तियों के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस मंत्रालय ने अंतरिम अवधि के अंतराल को कवर करने के लिए सीजीडब्ल्यूए को उपयुक्त योग्यता और अनुभव वाले युवा पेशेवरों की पर्याप्त संख्या में नियुक्त करने की अनुमति भी दी है ताकि संगठन का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

शेष संवर्गों की भर्ती मिशन मोड में की जा रही है। इस संबंध में, प्रस्ताव पहले ही यूपीएससी/एसएससी को भेजे जा चुके हैं जो अपने मानक भर्ती साइकल के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूए को एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन बनाने की दृष्टि से, संगठन की स्थापना के बाद से पहली बार एक व्यापक संवर्ग पुनर्गठन का कार्य शुरू किया गया है। इस पुनर्गठन में, भविष्य की कार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक संवर्ग को सुदृढ़ करने और ट्रिलिंग संचालन संबंधी निम्न श्रेणी पदों को बड़ी संख्या को सरेंडर करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। इस समय, सीजीडब्ल्यूए की संवर्ग समीक्षा/पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को आवश्यक अनुमोदनों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग के समक्ष उठाया गया है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 660
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
कर्नाटक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

660. डॉ. के. सुधाकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा सुनिश्चित सिंचाई योजना के अंतर्गत खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच प्रदान करने और कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ख) क्या कर्नाटक को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत निधियां आवंटित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या उक्त योजना को अपनाने के लिए चिक्कबल्लापुर के किसानों को कोई राजसहायता और सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) क्या चिक्कबल्लापुर का कोई किसान इस योजना से छूट गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी किसानों को इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): किसानों के लाभ के लिए भूमि के कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, भारत सरकार चिन्हित की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपनी चल रही योजनाओं के तहत तकनीकी सहायता के साथ-साथ आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल के दिनों में इस संबंध में भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं।

1. भारत सरकार द्वारा पीएमकेएसवाई को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि को विस्तारित करने को मंजूरी दी गई है, जिसका समग्र परिव्यय 93,068.56 करोड़ रुपये (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड को 20,434.56 करोड़ रुपये की ऋण सेवा और राज्य सरकारों द्वारा राज्य के हिस्से के लिए 35,180 करोड़ रुपये का परिव्यय) है।
2. महाराष्ट्र की 8 एमएमआई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज को भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसकी अनुमानित शेष लागत अप्रैल, 2018 तक 13,651.61 करोड़ रुपये है। उक्त पैकेज के लिए केंद्रीय सहायता घटक 3,831.41 करोड़ रुपये है, जिससे 3.77 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित होगी।
3. जून, 2018 में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभ प्रदान करने वाली शाहपुरकंडी बाँध (राष्ट्रीय) परियोजना के लिए 2,715.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 485.38 करोड़ रुपये है।

4. सितंबर, 2018 में भारत सरकार ने राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जिससे पंजाब और राजस्थान राज्यों को लाभ होगा और इसकी स्वीकृत लागत 1976.75 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 982 करोड़ रुपये है।
5. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्रमशः रेणुकाजी बांध और लखवार बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 6,946.99 करोड़ रुपये और 5,747.17 करोड़ रुपये है।
6. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी है।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण तरीकों को लागू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ-साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक, वर्ष 2015 में पीएमकेएसवाई की शुरुआत से दिसंबर, 2021 तक पीएमकेएसवाई का हिस्सा था। उसके बाद, इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक हिस्से के रूप में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और अब यह पीएमकेएसवाई का हिस्सा नहीं है। पीएमकेएसवाई (एआईबीपी, सीएडीडब्ल्यूएम, एसएमआई और पीडीएमसी घटक) के तहत कर्नाटक को आवंटित/जारी किए गए धन का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	पीएमकेएसवाई के घटक	कर्नाटक को जारी केंद्रीय सहायता (2015-16 से 2024-25)(करोड़ रुपये में)	लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या (हजारों में)
1.	एआईबीपी तथा सीएडी और डब्ल्यूएम	1477.16	855.92
2.	एसएमआई	105	6.18
3.	पीडीएमसी	3,251.79	2100

(घ) और (ड.): पीएमकेएसवाई के पीडीएमसी घटक के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण लगाए जाने के लिए सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% की दर से तथा अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक, पीडीएमसी के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को 3,251.79 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस अवधि के दौरान, राज्य में इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत कुल 21.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुरा जिले में कवर किया गया 39895 हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र भी शामिल है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 650
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024

650. श्री प्रवीण पटेल:
डॉ. भोला सिंह:
श्री पी.सी. मोहन:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री लुम्बा राम:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री तापिर गाव:
श्री महेश कश्यप:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. राजेश मिश्रा
श्री खगेन मुर्मु:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर और जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित देश में नए चिह्नित किए गए प्रदूषकों और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या भूजल संदूषण की प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों के साथ कोई तुलना की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या मौजूदा भूजल गुणवत्ता सुधार पहलों की प्रभावाशीलता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

- (घ) क्या भूजल गुणवत्ता प्रबंधन में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोई ढांचा स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;
- (ङ.) महाराष्ट्र के पालघर जिले में भूजल में चिह्नित प्रदूषकों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जहां बड़े क्षेत्र में कोयला भंडार है जिसके कारण पानी की गुणवत्ता में अत्यधिक गिरावट आ रही है, में भूजल को स्वच्छ बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर में फैले 15,259 निगरानी स्थलों से भूजल के नमूनों और विश्लेषण पर आधारित है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पीने और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं, नाइट्रेट आदि जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करना है। इस रिपोर्ट में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग क्षेत्रों में मानव उपभोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक प्रदूषकों की उपस्थिति पाई गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट में कोई नए प्रदूषकों की पहचान नहीं की गई है।

विभिन्न भूजल गुणवत्ता मानकों, उन क्षेत्रों की जानकारी जहां प्रदूषण सूचित किया गया है, संदूषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों आदि के विवरण वाली विस्तृत रिपोर्ट को <https://cgwb.gov.in/cgwbpm/public/uploads/documents/17363272771910393216file.pdf> पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, महाराष्ट्र के पालघर और जलगांव संसदीय क्षेत्र में कोई नए प्रदूषक नहीं पाए गए हैं। हालांकि, जलगांव चुनाव क्षेत्र में, कुछ स्थानों (नसीराबाद, कसोडा, आदगांव, लासगांव, वर्केडी-1 और निमझरिया) से भूजल नमूनों में नाइट्रेट, को बीआईएस द्वारा निर्धारित पेयजल की अनुमय सीमा से ऊपर पाया गया है।

(ख) और (ग): भूजल प्रदूषण प्रवृत्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण पिछले वर्षों के डेटा के आधार पर किया गया है, जो भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में उपलब्ध डेटा के सापेक्ष है। वर्ष 2019 और 2023 के बीच नाइट्रेट, फ्लोराइड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (ईसी) जैसे प्रमुख संदूषकों के परिणाम बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अनुमय सीमा से अधिक ईसी सैंपलों का प्रतिशत 6.65% से बढ़कर 7.25% हो गया है, फ्लोराइड का प्रतिशत 7.21% से बढ़कर 9.03% हो गया है और नाइट्रेट के संबंध में, अनुपात 19.8% पर ही रहा है।

इसके अलावा, भूजल प्रदूषण से निपटने के लिए सुधारात्मक उपायों के संबंध में उल्लिखित किया जाता है कि जल एक राज्य से संबंधित विषय है और भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी, जिसमें भूजल गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय करना और प्रदूषण समस्या का उपशमन करने का कार्य शामिल है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केंद्रीय सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

हालांकि, केंद्रीय सरकार ने इस दिशा में विभिन्न कार्य किए हैं और जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं: सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता डेटा को नियमित रूप से साझा करना, इयरबुक, अर्ध-वार्षिक बुलेटिन और पखवाड़े के एलर्ट के माध्यम से; भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अध्ययन शुरू करना;

प्रभावित क्षेत्रों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नवीनतम सीमेंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करके आर्सेनिक से मुक्त कुओं का निर्माण करना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, उद्योग विशेष डिस्चार्ज मानक स्थापित करना, उद्योगों के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र (इटीपी) को अनिवार्य बनाना, डिस्चार्ज की ऑनलाइन निरंतर निगरानी करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार राज्यों की साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है, ताकि देश के हर ग्रामीण घर में पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को नल जल की सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंड के रूप में अपनाया गया है।

इन सभी समग्र प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचना मिली है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2025 के बीच देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या क्रमशः 14,020 से 314 और 7,996 से 254 तक घट गई है। इन शेष बस्तियों को भी सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया है।

(घ): केंद्रीय सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तव में जन आंदोलन में परिवर्तित के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं:

- i. भारत सरकार 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले जिलों में अटल भूजल योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसका मुख्य विषय सामुदायिक नेतृत्व में सतत भूजल संसाधनों का प्रबंधन और मांग प्रबंधन करना है।
- ii. केंद्रीय भूजल बोर्ड विभिन्न सार्वजनिक इंटरैक्शन कार्यक्रम (पीआइपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), स्थानीय भूजल मुद्दों पर टियर II और टियर-III कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है।
- iii. जेजेएम के तहत, समुदाय को शामिल करने और जल गुणवत्ता के बारे में जागरूकता सृजन के उद्देश्य से, प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, मुख्यतः महिलाओं, का चयन किया जाता है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल सैंपलों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- iv. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) को सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ कार्यान्वित कर रही है। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं ताकि स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की जा सके और जल से संबंधित जानकारी का प्रसार किया जा सके।
- v. जल शक्ति अभियान की गति को और तीव्र करने के लिए, जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थिरता के लिए एक सामुदायिक-प्रेरित मार्ग का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण का पालन करते हुए पानी की प्रत्येक बूंद को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संरक्षित किया जाए।

vi. इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधन प्रबंधन को सुधारने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर काम कर रहे एनजीओ के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ड.): पालघर जिले के लिए कुल 36 सैंपलों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से सभी बीआईएस द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर पाए गए।

(च): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा हर साल मध्य प्रदेश में, जिसमें सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, भूजल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता के संबंध में कोई गिरावट की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीधी में कोई पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ नहीं बताई गई सूचित की हालांकि, जेजेएम और अन्य योजनाओं के तहत 1.92 लाख घरों में से 90,487 घरों में पीने के लिए सुरक्षित नल का पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 648
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल में प्रदूषकों का बढ़ता स्तर

648. श्री रामप्रीत मंडल:

श्री दिनेश चंद्र यादव:

प्रो. सौगत राय:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री टी.एम. सेल्वागणपति:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार देश के 440 जिलों में भूजल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है और यदि हां, तो वर्ष 2017 और 2023 तक इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या अन्य जिलों में भी भूजल में नाइट्रेट की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वर्ष 2017 में केवल 359 जिलों में नाइट्रेट की मात्रा दर्ज की गई थी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश के लगभग 56 प्रतिशत जिलों में नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या देश के मध्य और दक्षिणी भागों में भी नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा चिंताजनक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ड.) क्या भूजल में फ्लोराइड का स्तर भी सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने नाइट्रेट और फ्लोराइड के इतने उच्च स्तर से मानव स्वास्थ्य और फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लोगों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर के 15,259 मॉनिटरिंग स्थलों से भूजल के नमूने के संग्रह और इसके

विक्षेपण पर आधारित है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 440 जिलों में अलग-थलग स्थानों से एकत्र किए गए भूजल नमूनों में पेय उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नाइट्रेट की छिटपुट उपस्थिति पाई गई थी। वर्ष 2023 और 2017 के लिए एक या अधिक अलग-थलग स्थानों पर अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की सूचना देने वाले जिलों की राज्य-वार सूची क्रमशः अनुलग्नक- I और अनुलग्नक-II में प्रस्तुत की गई है।

हालांकि एक या अधिक पृथक स्थानों पर अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों की संख्या वर्ष 2017 में 359 से बढ़कर वर्ष 2023 में 440 हो गई है, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में इसके प्रसार को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भूजल में नाइट्रेट संदूषण मुख्य रूप से मानवजनित प्रकृति का है जो उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग, कृषि अपवाह, अनुचित अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त, प्रभावित जिलों की संख्या में वृद्धि का एक अन्य कारण अद्यतन एसओपी के अनुसार, कथित प्रभावित क्षेत्रों के आस पास नमूना संग्रह की दर में वृद्धि और विस्तारित भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग भी है। यह इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि जिन जिलों में संदूषण की सूचना मिली थी, उनकी संख्या में वृद्धि के बावजूद, अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट स्तरों वाले नमूनों के समग्र अनुपात में मामूली गिरावट आई है, जो वर्ष 2017 में 21.6% से घटकर वर्ष 2023 में 19.8% हो गया है।

(ग): वर्ष 2023 में भारत में कुल 788 जिलों में से, 440 जिलों के एक या अधिक छिटपुट स्थानों में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की सूचना प्राप्त हुई है।

(घ): जैसा कि अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में देखा जा सकता है, देश के मध्य और दक्षिणी भागों में, वर्ष 2017 से 2023 के मध्य अलग-अलग भागों में अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों की संख्या कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थिर रही है, केरल और मध्य प्रदेश में गिरावट देखी गई है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में क्रमशः वृद्धि देखी गई है।

(ङ): वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत के 263 जिलों के कुछ अलग-अलग भागों से भूजल के नमूनों में पेय उद्देश्यों के लिए निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई गई थी।

(च): लम्बी अवधि तक अनुमेय सीमा से अधिक फ्लोराइड अथवा नाइट्रेट से युक्त पेयजल को स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभावों के लिए जाना जाता है। उपलब्ध अनुसंधान और साहित्य के अनुसार, पेय जल में फ्लोराइड से संदूषित जल का लंबे समय तक सेवन करने से लोगों को कृपलिंग स्केलेटल और/या डेंटल फ्लोरोसिस का जोखिम हो सकता है। इसी तरह, नाइट्रेट संदूषण शिशुओं में जन्म दोष, थायरॉयड जटिलताओं और कुछ प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है।

इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय है। भूजल गुणवत्ता में सुधार करने और संदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है तथापि, भूजल गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं : -

- i. सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े विभिन्न हितधारकों के उपयोग के लिए रिपोर्टों के साथ-साथ वेबसाइट (<http://www.cgwb.gov.in>) के माध्यम से भी सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के प्रत्येक दौर के बाद निष्कर्षों के सार वाले अर्द्धवार्षिक बुलेटिनों का परिचालन भी किया जाता है।
 - ii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों के कुछ हिस्सों में भूजल में यूरेनियम, सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और पारा संदूषण के अध्ययन के लिए वर्ष 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
 - iii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीपीसीबी द्वारा बहिस्त्रावों के निस्सरण हेतु उद्योग विशिष्ट मानकों और सामान्य मानकों को विकसित कर बिन्दु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है। सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, बहिस्त्राव गुणवत्ता के संबंध में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए देश में औद्योगिक इकाइयों द्वारा एक ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव मॉनिटरिंग प्रणाली (ओसीईएमएस) संस्थापित की जाती है।
 - iv. भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को नल द्वारा जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है।
 - राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली आबादी को 10% वरीयता दी जाती है।
 - देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के

लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- जेजेएम के तहत, नल के जल कनेक्शन के माध्यम से घरों में पेय जल की आपूर्ति की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि सुरक्षित जल स्रोत से पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और उसे चालू करने समय लगता है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित रिहाइशों में विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है।

‘व्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति बंद करना’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 648 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2023 के लिए भूजल में नाइट्रेट संदूषण का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक NO3 वाले जिलों की संख्या	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों के भाग
1	आंध्र प्रदेश	25	अल्लूरी सीता राम राजू, अनकापल्ली, अनंतपुर, अन्नामय्या, बापटला, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, एलुरु, गुंटूर, काकीनाडा, कोनासीमा, कृष्णा, कुरनूल, नंघाला, नेल्लोर, एनटीआर, पलनाडु, पार्वतीपुरम मान्यम, प्रकाशम, श्री सत्य साईं श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी, वाईएसआर कडपा
2	बिहार	15	अरवल, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी
3	छत्तीसगढ़	20	बालोद, बलोदबजर, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सूरजपुर, सरगुजा
4	दिल्ली	7	नई दिल्ली, उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम
5	गुजरात	23	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरवल, भरूच, भावनगर, छोटा उदेपुर, दाहोद, देवभूमि द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, मोरबी, पंचमहाल, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, तापी, वडोदरा, वलसाड
6	हरियाणा	21	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवारी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर
7	हिमाचल प्रदेश	6	बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना
8	जम्मू और कश्मीर	6	बारामूला, जम्मू, कठुआ, कुपवाड़ा, राजौरी, सांबा
9	झारखंड	9	चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरडागा, पलामू, रांची, सिडेगा
10	कर्नाटक	27	बागलकोट, बेलगाम, बेल्लारी, बैंगलोर ग्रामीण, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकबल्लापुरा, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागु, कोलार, कोप्पल, मांड्या, मैसूर, रायचूर, रामनगर, शिवमोग्गा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़, विजयनगर, यादगीर
11	केरल	10	अलप्पुझा, इडुक्की, कन्नूर, कोल्लम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, पठानमथिडा, त्रिशूर, त्रिवंथिरम
12	मध्य प्रदेश	39	आगर मालवा, अनूपपुर, बालाघाट, बरवानी, भिंड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मोरना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया
13	महाराष्ट्र	32	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रायगढ़, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाल
14	ओडिशा	15	अनुगुल, बलांगीर, बारगढ़, कटेक, ढँकनाल, केंदुझर, खर्धा, करापुट, मयूरभंज, नयागढ़, नुआपाड़ा, पुरी, चंबलपुर, चनापुर, सुंदरगढ़
15	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी

16	पंजाब	20	अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवांशहर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, सास नगर, तरनतारन
17	राजस्थान	30	अजमेर, अलवर, बंसवारा, बरन, बार्मर, भरतपुर, भिलवारा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झलावर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोंही, टोंक, उदयपुर
18	तमिलनाडु	31	अरियालुर, चेन्नई, कोयंबटूर, कुड्डलोर, धर्मपुरी, टिंडीगल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, मदुरै, नागपट्टिनम, नमक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलूर, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, सलाम, शिवगंगई, तंजावुर, थेनी, तिरुवन्नामलाई, तिरुनेलवेली, तिरुवल्लूर, तिरुवरूर, त्रिची, थुडीकोरिन, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर
19	तेलंगाना	32	आदिलाबाद, बी. कोठागुडम, हनमकोंडा, जे. भूपालपल्ली, जगसियाल, जनगांव, जोगुलाम्बा, कामारेड्डी, करीमनगर, केबी आसिफाबाद, खम्मम, महबूबाबाद, महबूबनगर, मंचेरियल, मेडक, मेडचल, मलकाजगिरी, मुलुगु, नागरकुरनूल, नलगोंडा, नारायणपेट, निर्मल, निजामाबाद, पेडापल्ले, आर. सिरसिला, रंगा रेड्डी, संगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, सिद्दीपेट
20	त्रिपुरा	2	उत्तरी त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा
21	उत्तर प्रदेश	48	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद / प्रयागराज, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बुदौन, बुलंदशहर, चित्रकूट, एटा, एतवाह, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशांबी, ललितपुर, लकनो, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मीरुट, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, संभल, संतरविदास नगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी
22	उत्तराखंड	5	अलमोरा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर
23	पश्चिम बंगाल	18	अलीपुरद्वार, बांकुरा, बीरभूम, बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुडी, झाड़ग्राम, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर

‘व्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान को की जाने वाली जल आपूर्ति बंद करना’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 648 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2017 के लिए भूजल में नाइट्रेट संदूषण का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक NO ₃ वाले जिलों की संख्या	45 मि.ग्रा./ली. से अधिक नाइट्रेट वाले जिलों के भाग
1	आंध्र प्रदेश	13	अनंतपुर, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कडप्पा, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लोर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी
2	बिहार	20	अरवल, औरंगाबाद, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, खगरिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, वेस्ट चंपारण
3	गोवा	2	उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा
4	गुजरात	30	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरवल, बनास कांता, भरूच, भावनगर, बोटाद, छोटा उदयपुर, दाहोद, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महेसना, महिसागर, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, पंच महल्स, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्र नगर, दी डंग, वडोदरा
5	हरियाणा	18	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवारी, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर
6	हिमाचल प्रदेश	1	सोलन
7	जम्मू और कश्मीर	6	रियासी, जम्मू, कठुआ, राजौरी, सांबा, उधमपुर।
8	झारखंड	17	बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम
9	कर्नाटक	27	बागलकोट, बैंगलोर ग्रामीण, बैंगलोर शहरी, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकबल्लापुरा, चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागु, कोलार, कोप्पल, मंड्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकूर, उडुपी, यादगीर
10	केरल	13	एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझीकोड, मलप्पुरम, पलक्कड, पठानमथिट्टा, त्रिशूर, त्रिवेंद्रम, वायनाड
11	मध्य प्रदेश	48	आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोक नगर, बालाघाट, बरवानी, बेतुल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मोरना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सेओनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा
12	महाराष्ट्र	32	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, परभणी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाल
13	पंजाब	17	बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फेरोजेपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मुक्तसर, नवानशहर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, एसएस नगर

14	राजस्थान	31	अजमेर, अलवर, बंसवारा, बरन, बार्मेर, भरतपुर, भिलवारा, बूंदी, चित्तौरगढ़, चूरू, धौलपुर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झलावर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
15	तमिलनाडु	20	चेन्नई, कोयंबटूर, धर्मपुरी, डिंडीगल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, नमक्कल, पेरम्बलूर, सलाम, तिरुवन्नामलाई, तिरुनेलवेली, तिरुप्पुर, तिरुवल्लूर, त्रिची, थुडीकोरिन, विल्लुपुरम, विरुधुनगर
16	तेलंगाना	10	आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगा रेड्डी, वारंगल
17	उत्तर प्रदेश	42	आगरा, अलीगढ़, अल्लाहबाद, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बुदौन, चंदावली, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हाथरस, जे पी नगर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, काशीरामनगर (कासगंज), कौशम्बी, ललितपुर, लकनौ, महोबा, मथुरा, मीरुट, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी.
18	पश्चिम बंगाल	12	बांकुरा, बीरभूम, बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, जलपाईगुडी, झारग्राम, मालदा, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, पुरुलिया।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 644
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में जल गिड

644. डॉ.शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मराठवाड़ा क्षेत्र, विशेषकर महाराष्ट्र के लातूर और धाराशिव जिले पानी की कमी से प्रभावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में जल गिड विकसित करने के लिए कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यह एक वर्षा छाया वाला क्षेत्र है जिसमें वार्षिक वर्षा केवल 600 मिमी तक होती है और वर्षा में 30% की विषमता पाई जाती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस स्थिति से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में एक जल गिड विकसित करने की पहल की है। इस पहल के अंतर्गत, राज्य सरकार ने क्षेत्र में 11 प्रमुख बांधों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई है जिससे कि आवश्यकतानुसार एक बांध से दूसरे बांध तक पानी पहुंचाया जा सके। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आगे दी गई सूचना के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत इस क्षेत्र में 8 जलापूर्ति गिड योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो मराठवाड़ा गिड का हिस्सा है।

आगे उल्लेख किया जाता है कि भारत सरकार ने वर्ष 1980 में जल-समृद्ध बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। एनपीपी के अंतर्गत, नदियों को परस्पर जोड़ने वाली 30 परियोजनाओं की पहचान की गई है। आईएलआर परियोजनाओं का कार्य, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को सौंपा गया है। एनपीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए दमनगंगा - पिंजाल आईएलआर परियोजना और पार - तापी - नर्मदा आईएलआर परियोजना की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, एनडब्ल्यूडीए को, महाराष्ट्र राज्य से 20 अंतर-राज्य लिंक प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। इन 20 लिंक प्रस्तावों में से, 3 प्रस्ताव अर्थात वैनगंगा-मंजरा घाटी अंतर-राज्य लिंक, ऊपरी कृष्णा - भीमा (6 लिंकों की प्रणाली) अंतर-राज्य लिंक, और नार-पार-गिरणा घाटी अंतर-राज्य लिंक, महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र से संबंधित हैं। एनडब्ल्यूडीए द्वारा इन सभी अंतर-राज्य लिंक प्रस्तावों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी कर ली गई है और महाराष्ट्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र से संबंधित 3 अंतर-राज्य लिंक प्रस्तावों के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	अंतर-राज्य लिंक का नाम	नदियां	लाभान्वित जिले	पीएफआर/डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1	वैनगंगा-मंजरा घाटी	वैनगंगा और मंजरा	बीड, हिंगोली, परभणी	पीएफआर को पूरा किया गया (व्यवहार्य नहीं)
2	ऊपरी कृष्णा - भीमा (6 लिंकों की प्रणाली)	कृष्णा और भीमा	उस्मानाबाद (धाराशिव)	पीएफआर को पूरा किया गया
3	नार-पार-गिरणा घाटी	नार, पार और गिरणा	औरंगाबाद	को पूरा किया गया (व्यवहार्य नहीं)

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 640
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
केरल में जल संचय जन-भागीदारी पहल

640. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केरल के जिलों, विशेषकर कासरगोड में जल संचय जन-भागीदारी पहल को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (ख) जल संचय जन-भागीदारी पहल के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है तथा केरल को जिलेवार कितनी धनराशि वितरित की गई है; और
- (ग) केरल में जल संचय जन-भागीदारी के कार्यान्वयन में सरकार के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल संचय जन भागीदारी पहल को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य केरल सहित देश भर में, सामुदायिक-नेतृत्व जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना है। इस पहल में एक मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर फोकस किया जाता है जिसमें अभिकरण और भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न वित्तीय स्रोतों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रतिपूरक वनीकरण निधि (काम्पा), वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व (कारपोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी) योगदान आदि का लाभ लिया जाएगा।

सरकार ने कासरगोड सहित केरल में, कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं, जिसमें केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोग से जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों और नगर निगमों को कार्यान्वयन हेतु दिनांक 07.10.2024 को एक एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय ने पारदर्शिता और गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जल संचय डैशबोर्ड विकसित किया है, जो जीआईएस समन्वय, तस्वीरों और वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हुए पुनर्भरण संरचनाओं को ट्रैक करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दिनांक 04.02.2025 तक, जल संचय जन भागीदारी पहल के अंतर्गत 5.18 लाख पुनर्भरण संरचनाओं को लाया गया है, जिसमें केरल की लगभग 2,768 पुनर्भरण संरचनाएं और कासरगोड की 387 पुनर्भरण संरचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 1% पुनर्भरण

संरचनाओं के गुणवत्ता आश्वासन का परीक्षण किया जाता है। केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण और इसके पुनरूद्धार संबंधी तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं जिससे भूजल संवर्धन प्रयासों में सुधार लाया जा सके।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक जिले और नगर निगम में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय जल मिशन में, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के चार समर्पित अधिकारियों को राज्यों, मंत्रालयों, उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों को कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और तकनीकी एडवाइजरी दस्तावेज को तैयार किया गया है और सभी स्तरों पर हितधारकों को सहायता देने के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल के माध्यम से व्यापक रूप से विस्तार किया जा रहा है। इस पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

(ख): जल संचय जन भागीदारी पहल का कोई अलग से समर्पित बजट नहीं है, बल्कि इसे मौजूदा योजनाओं के समन्वय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और विभिन्न केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, अमृत, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीएसकेएसवाई, काम्पा, सीएसआर आदि के अंतर्गत निधियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ग): जल संचय जन भागीदारी का कार्यान्वयन किसी भी राज्य, जिसमें केरल शामिल है, के विभिन्न तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ अन्य राज्यों की तरह, केरल में भी भौगोलिक परिस्थितियों, ढलान, उच्च वर्षा, उच्च बहाव, जलभराव आदि की कई चुनौतियों के कारण जल संचय जन भागीदारी पहल के कार्यान्वयन को सामना करना पड़ सकता है, जिससे भूजल के सीधे पुनर्भरण वाली जल संरक्षण संरचनाओं की गुंजाइश सीमित हो जाती है। इसके समाधान के लिए, ऐसे क्षेत्रों में जहां सूखे और कम वर्षा के मौसम के दौरान जल की आवश्यकता हो सकती है, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण और भंडारण के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भूमि की कमी, भीड़भाड़, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण में और भी चुनौती पेश करते हैं। इसके जवाब में, सरकार ने सीधे भूजल के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सलाह और सामान्य प्रश्न जारी किए हैं। इसके जवाब में, सरकार ने सीधे भूजल पुनर्भरण, पारंपरिक/मौजूदा जल निकायों के पुनरूद्धार और ऐसे क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ पुनर्भरण संरचनाओं के एकीकृत करने के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए एडवाइजरी और एफएक्यू को जारी किया है। व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी पहल में जल संरक्षण के गहन सामुदायिक कार्यों और स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 620
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

बरनार जलाशय का निर्माण

620. श्री गिरिधारी यादव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिहार के जमुई जिले के अंतर्गत दो राज्यों बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले बरनार जलाशय के निर्माण का कार्य दीर्घकाल से लंबित है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त जलाशय की अनुमानित लागत क्या है तथा अब तक आवंटित निधि कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): जी हां, बिहार के जमुई जिला में बरनार जलाशय का निर्माण कार्य दीर्घ काल से लंबित है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन परियोजनाएं, उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार आयोजित, वित्तपोषित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं। भारत सरकार की भूमिका इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत कुछ चिन्हित परियोजनाओं के लिए तकनीकी और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, एक प्रेरक होने के रूप तक सीमित है।

बरनार जलाशय परियोजना को बिहार राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक, इस परियोजना के संबंध में कुल व्यय 63.89 करोड़ रुपये हुआ है। पूर्ववर्ती योजना आयोग की सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1975 में इस परियोजना पर 8.0346 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विचार किया गया था और मंजूरी प्रदान की गई थी। इस परियोजना का प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग में दिनांक 28.10.2023 को वर्ष 2022-23 मूल्य स्तर पर 2,302.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ लागत संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 17.01.2024 को राज्य सरकार को इसकी वर्ष 2023-24 मूल्य स्तर पर अपडेटेड जल विज्ञान, सिंचाई योजना और लागत अनुमान के साथ नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के सुझाव के साथ लौटा दिया गया था। राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि इस समय बरनार जलाशय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ओपन चैनल की जगह पाइप लाइन नेटवर्क के साथ पुनर्नियोजित की जा रही है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 616
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

- भूजल स्तर में भारी कमी वाले क्षेत्र को डार्क जोन के रूप में घोषित किया जाना
616. श्री धर्मबीर सिंह:
क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार का विचार भूजल स्तर में भारी कमी वाले क्षेत्रों को डार्क जोन के रूप में घोषित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड क्या हैं;
- (ख) हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिलों में कितने ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित किया गया है और उन्हें शामिल करने में सहयोग देने वाले विशिष्ट कारक क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों के शेष ब्लॉकों को डार्क जोन श्रेणी में शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा पहले से ही डार्क जोन के रूप में वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों में भूजल स्तर को बहाल करने और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या लक्षित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या सरकार के पास जल संरक्षण प्रयासों में स्थानीय किसानों और समुदायों को शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित क्षेत्रों में इन पहलों को किस प्रकार लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन वार्षिक आधार पर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और संबंधित राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस आकलन के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आकलन की गई यूनितों को जो सामान्यतः तालुक/ब्लॉक/तहसील आदि होती हैं, 'सुरक्षित', 'अर्ध-गंभीर', 'गंभीर' और 'अति-दोहित' (जिसे पहले डार्क जोन कहा जाता था) श्रेणियों में, वर्गीकृत किया जाता है जो इस समय वर्गीकृत 'भूजल निष्कर्षण का स्तर (स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन)' के आधार पर किया जाता है। 'भूजल निष्कर्षण स्तर (स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन)' को कुल वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल के समक्ष, संसाधनों के सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग) के कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

वर्ष 2024 के पिछले आकलन के अनुसार, देश की कुल 6746 आकलन यूनितों में से, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 751 यूनितों (11.13%) को 'अति दोहित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख): भारत के 2024 के राष्ट्रीय गतिशील भूजल संसाधनों के संकलन के अनुसार, भिवानी जिले के आकलन किए गए सात ब्लॉकों में से चार को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महेंद्रगढ़ जिले में, आठ ब्लॉकों में

से छह और चरखी दादरी जिले में, चार ब्लॉकों में से दो को क्रमशः अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इन सभी ब्लॉकों में जल निष्कर्षण का स्तर 100% से ऊपर है। इन जिलों में, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत आकलन यूनिटों का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ग): यह वर्गीकरण, वार्षिक भूजल संसाधनों के आकलन और निष्कर्षण स्तर पर आधारित है जो संबंधित आकलन यूनिट/ब्लॉक के लिए विशिष्ट होता है।

(घ): जल, राज्य का विषय होने कारण भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए तथा इसमें सुधार के उपाए करने सहित जल कमी की समस्या से निपटने का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। देश में, मंत्रालय द्वारा भूजल स्तर की गिरावट को रोकने और डार्क जोन सहित, भूजल संसाधनों के निरंतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं: -

- i. सरकार, वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान को कार्यान्वित कर रही है, जो वर्षा को संचित करने और जल संरक्षण संबंधी कार्यकलापों को किए जाने का एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय, देश में जल शक्ति अभियान- 2024 को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें देश के जल की कमी वाले 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल शक्ति अभियान एक अम्ब्रैला अभियान है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
- ii. अटल भूजल योजना को हरियाणा सहित सात राज्यों के 80 जिलों में 229 जल की कमी वाले ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे इसे भागीदारी आधारित भूजल मांग पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित किया जा सके। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों में गिरते भूजल स्तर को रोकना है।
- iii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) को शुरू किया है जिसका उद्देश्य जलभृतों की स्थिति और उनकी विशेषता को स्पष्ट करना है। इस योजना के अंतर्गत देश का लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा मानचित्रण योग्य क्षेत्रफल मानचित्रित किया गया है और प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iv. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है जिससे देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की व्यापक रूपरेखा प्रदान की जा सके और अनुमानित लागत के साथ लगभग 185 (बिलियन घन मीटर) बीसीएम जल का उपयोग किया जा सके।
- v. कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, देश भर में वर्ष 2015-16 से प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, इसके केन्द्रित कार्यों में खेतों में सूक्ष्म सिंचाई और जल प्रबंधन की बेहतर प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में बढ़ोत्तरी करना है जिससे कि उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग में सुधार लाया जा सके।

- vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरूद्धार कार्य करना है। इसके परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विनिर्माण/पुनरूद्धार किया गया है।
- vii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से इस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की स्थापना की गई है। देश में भूजल निष्कर्षण और इसके उपयोग को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.09.2020 की अपने दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जो पूरे भारत वर्ष में लागू होते हैं, अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हुए विनियमित किया जाता है।
- viii. देश में भूजल स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण पहलों के विवरण को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है- <https://jalshakti-dowr.gov.in/document/steps-taken-by-the-central-government-to-control-water-depletion-and-promote-rain-water-harvesting-conservation/>

(ड): केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तविक रूप से जन आंदोलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख हैं:

- i. भारत सरकार, अटल भूजल योजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसका मुख्य विषय सामुदायिक नेतृत्व में, सतत जल संसाधनों के साथ मांग पक्ष का प्रबंधन करना है। इसके अंतर्गत, प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा जल बजट और जल सुरक्षा योजना तैयार की जाती है जिसमें स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से किसान शामिल रहते हैं।
- ii. जल शक्ति अभियान को वर्ष 2019 से देश में सक्रिय जनभागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत देश के विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं जिससे कि स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की जा सके और जल संबंधी जानकारी का प्रसार किया जा सके।
- iii. जल जीवन मिशन के तहत, समुदाय को शामिल किए जाने और जल गुणवत्ता संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को चिह्नित किया जाता है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल नमूनों के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- iv. जल शक्ति अभियान की गति को और मजबूती देने के लिए, भारत में जल के सतत विकास के लिए जल संचय जन भागीदारी: एक सामुदायिक-प्रेरित मार्ग का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य जल की हर एक बूंद को सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संरक्षित करना है जिसमें समाज और सरकार के समग्र दृष्टिकोण का अनुपालन किया जाता है।
- v. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, स्थानीय भूजल संबंधी मामलों के बारे में विभिन्न जन संपर्क कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम, टियर-II और टियर-III जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करता है, जिसमें जल संपर्कों के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना और जल गुणवत्ता बनाए रखने की सतत प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल होता है।

‘भूजल स्तर में भारी कमी वाले क्षेत्र को डार्क जोन के रूप में घोषित किया जाना’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 616 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन - 2024 के अनुसार, हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी और महेन्द्रगढ़ जिलों में ओसीएस श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत आकलन यूनिटों के विवरण।

क्र.सं.	जिले का नाम	सुरक्षित आकलन यूनिटें	अर्ध गंभीर आकलन यूनिटें	गंभीर आकलन यूनिटें	अति-दोहित आकलन यूनिटें
1	भिवानी	1.बवानी खेड़ा			1.लोहारू
		2.भिवानी			2.कैरू
		3.सीवानी			3.तोशम
					4.बेहल
2	चखरी दादरी	1.बोंद			1.झोझु
		2.चखरी दादरी			2.बद्रा
3	महेन्द्रगढ़		1.सतनाली	1.निजामपुर	1.कनीना
					2. नंगल चौधरी
					3. सिंहमा
					4.महेन्द्रगढ़
					5.नारनौल
					6. अटेली नंगल

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 609
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

प्रकाशा-बुराई लिफ्ट सिंचाई परियोजना, नंदुरबार, महाराष्ट्र

609. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महाराष्ट्र के नंदुरबार तालुका और जिले में प्रकाशा-बुराई लिफ्ट सिंचाई परियोजना काफी समय से लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि संपूर्ण नंदुरबार तालुका और पड़ोसी तालुका पानी की कमी के कारण धीरे-धीरे सूखा-प्रवण क्षेत्र बनते जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शेष निधियों पर विचार करते हुए इस परियोजना के लिए अपेक्षित निधियों का 40 प्रतिशत या उससे अधिक आबंटित करने और जारी करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उक्त परियोजना के लिए निधियां आबंटित और वितरित कर दी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को सूखा-प्रवण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): जल राज्य विषय होने के नाते, सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना, संचालित करना और प्रबंधित करना और राज्य में सिंचाई प्रणाली को अधिक व्यापक बनाने हेतु कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इस संबंध में, भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहयोग प्रदान करने और जारी योजनाओं के अंतर्गत पहचान की गई परियोजनाओं के लिए आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अंतर-राज्य नदी प्रणालियों की प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है।

महाराष्ट्र के नंदुरबार तालुका और जिले में प्रकाशा-बुराई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया

हैं कि परियोजना के लिए 793.95 करोड़ रुपये का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन मार्च 2024 में प्रदान किया गया है। परियोजना पर अब तक 121.94 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया गया है। इस परियोजना में महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुले जिलों के 7,085 हेक्टेयर सूखा प्रभावित क्षेत्र की सिंचाई किए जाने की क्षमता है।

प्रकाशा-बुराई लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले सहित देशभर में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल स्तर की प्रत्येक वर्ष में चार बार निगरानी करता है। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में मापे गए जिला-वार जल स्तर की जानकारी अनुलग्नक -I पर दी गयी है। इसके आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि नंदुरबार जिले में, लगभग 84% विश्लेषित कुओं का जल स्तर 0-10 मीटर (एमबीजीएल) की सीमा में आते हैं।

दशकीय उतार-चढ़ाव अर्थात्, नवंबर 2024 की तुलना में पिछले दस वर्षों (2014-2023) के नवंबर जल स्तर के दशकीय औसत से करने पर पता चलता है कि जमीन के पानी के स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव यह दर्शाता है कि नंदुरबार जिले के 78% कुओं में जल स्तर में वृद्धि हो रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में दशकीय जल स्तर के उतार-चढ़ाव की जानकारी को भी अनुलग्नक-I पर दर्शाया गया है।

(ड.): भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की सिंचाई विकास और भूजल संवर्धन हेतु उठाए गए कदमों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक के अंतर्गत 18,461 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई का विकास किया गया है।
2. 16,383 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की चार परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई के जलाशय विकास (डब्ल्यू डी) घटक के तहत स्वीकृत किया गया है।
3. सीजीडब्ल्यूबी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले सहित लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के समग्र मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलधारा मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना को पूर्ण कर लिया है। जलधारा के मानचित्र और प्रबंधन योजनाओं को तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। प्रबंधन योजनाओं में मांग और आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपायों को शामिल किया गया है।
4. एनएक्यूआईएम अध्ययन के तहत क्षमता निर्माण के रूप में, 2019 में नंदुरबार और शाहदा तालुकों में कुल दो टियर-III प्रशिक्षण (ब्लॉक स्तर प्रशिक्षण) आयोजित किए गए जिसमें 237 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 2021 में धुले जिले के शिरपुर तालुका में 47 प्रतिभागियों के साथ एक सार्वजनिक इंटरैक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य एजेंसी द्वारा भारत जल सप्ताह-2015 (आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2015)

के दौरान नंदुरबार जिले में 'सतत विकास हेतु जल प्रबंधन' विषय पर 'हमारा जल- हमारा जीवन' एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

5. सीजीब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना-2020 तैयार की है, जो देश की विभिन्न भूभाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने वाली एक मैक्रो स्तर की योजना है, जिसमें अनुमानित लागत भी शामिल है। इस मास्टर योजना में देश में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा के उपयोग के माध्यम से लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस मास्टर योजना में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के संबंध में, 25,755 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

अनुलग्नक-1

"प्रकाशा-बुराई लिफ्ट सिंचाई परियोजना, नंदुरबार, महाराष्ट्र" के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 609 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में वर्ष 2024 के मानसून पश्चात अवलोकित कुओं के प्रतिशत के जल स्तर वितरण की गहराई (अविकसित जलभृत)

जिले का नाम	विश्लेषित कुओं की संख्या	जल स्तर (एमबीजीएल) की रेंज में की गहराई की प्रतिशतता दर्शाने वाले कुओं की संख्या											
		0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
नंदुरबार	19	1	5.3	13	68.4	2	10.5	3	15.8	0	0.0	0	0.0

ख. वर्ष 2014 से 2023 तक के बाद के मानसून के औसत और 2024 के बाद के मानसून (महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले) के बीच जल स्तर में परिवर्तन का वर्गीकरण

जिले का नाम	विश्लेषित कुओं की संख्या	जल स्तर (एम) की रेंज में की उतार-चढ़ाव की प्रतिशतता दर्शाने वाले कुओं की संख्या											
		वृद्धि						गिरावट					
		0 से 2		2 से 4		> 4		0 से 2		2 से 4		> 4	
नंदुरबार	18	5	27.8	6	33.3	3	16.7	4	22.2	0	0	0	0

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 608
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश को एआईबीपी के अंतर्गत निधियां

608. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत निधियां आबंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) क्या उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में कम धनराशि आबंटित की जा रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत किसी परियोजना को इस स्कीम के तहत शामिल करने के समय केंद्रीय सहायता केवल सिंचाई और पेयजल के कार्य घटकों की शेष लागत के अनुपातिक वित्तपोषण तक ही सीमित होती है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं के लिए नवीनतम दिशानिर्देश https://pmksy-mowr.nic.in/aibp-mis/Manual/Guidelines_PMKSY_AIBP_National_Projects_%202022.pdf पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्यों के साथ परामर्श करते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत शामिल करने के लिए 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही निन्यानवे (99) प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरण) को चुना गया है। इसके अलावा, वर्ष 2021-26 के दौरान, पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को जारी रखने के अनुमोदन के बाद, 7 राज्यों में नौ परियोजनाएँ, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल की गई हैं।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना द्वारा की गई प्रगति और एक वित्तीय वर्ष में उस परियोजना के लिए राज्य द्वारा प्रदान किए गए बजटीय आवंटन के आधार पर ही परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश की चार (4) परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल किया गया है। अप्रैल 2016 से इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 1,421.82 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 588
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई - आंध्र प्रदेश में त्वरित सिंचाई लाभ घटक

588. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) त्वरित सिंचाई लाभ घटक के अंतर्गत चिह्नित, पूर्ण हो चुकी और चल रही कुल परियोजनाओं के संबंध में कोई डेटा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा लंबित परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (ग) वर्ष 2019-25 के दौरान उक्त घटक के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित और जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) आंध्र प्रदेश राज्य में उक्त घटक/परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त राज्य में उक्त परियोजनाओं की प्रगति की जांच करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): इस समय, आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 8 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ मौजूद हैं। इन परियोजनाओं के विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

(ङ): केंद्रीय जल आयोग द्वारा पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और परियोजना की प्रगति और मुद्दों पर व्यापक जानकारी संबंधी निगरानी रिपोर्ट नियमित रूप से इस मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय के तहत एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) मौजूद है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं की प्रगति और मुद्दों की नियमित रूप से इस मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा भी की जाती है।

"पीएमकेएसवाई - आंध्र प्रदेश में त्वरित सिंचाई लाभ घटक" के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 588 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजनाओं की स्थिति सिंचाई क्षमता हजार हेक्टेयर में और लागत, केंद्रीय सहायता (सीए) करोड़ रुपये में										
परियोजना का नाम	प्रगति की स्थिति/पूरा किए जाने की लक्षित तारीख	एआईबीपी घटक की अनुमोदित अनुमानित लागत	दिनांक 01.04.16 की स्थिति अनुसार केन्द्रीय सहायता की पात्रता	जारी केंद्रीय सहायता						2016-2024 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता
				2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
गुंडलकम्मा	जून, 26	397.41	19.870	0	0	0	0	0	0	5.970
तडीपुडी एलआईसी	दिसंबर, 25	285.74	0	0	0	0	0	0	0	2.619
थोटापल्ली	जून, 25	420.94	0	0	0	0	0	0	0	21.518
तारकरामा तीर्थ सागरम	जून, 26	193.5	25.044	0	0	0	0	0	0	0
मुसुरुमिल्ली	दिसंबर, 26	153.52	8.609	0	0	0	0	0	0	0
पुष्कर एलआईसी	दिसंबर, 25	196.24	0	0	0	0	0	0	0	0.198
एरराकाल्वा	दिसंबर, 26	89.57	0	0	0	0	0	0	0	0
मडिडगेड्डा	पूर्ण	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 587
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदी का मार्ग बदलने के लिए नेपाल से एनओसी

587. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में कुल कितनी नदियां हैं तथा नगरपालिका क्षेत्रों का अनुपचारित मलजल किन नदियों में बहाया जाता है;
- (ख) क्या नेपाल से निकलने वाली नदियों अर्थात् जिताधार तथा खांडो नदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 4 जनवरी, 2025 को बिहार के सुपौल जिले के अंतर्गत बीरपुर में नेपाल तथा बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग, केन्द्रीय जल संसाधन विभाग तथा स्थानीय संसद सदस्य के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कोशी, जिताधार तथा खांडो नदियां अपनी मुख्यधारा से अपना मार्ग बदलकर बहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सुपौल जिले के कुआनौती, कमालपुर तथा डगमारा गांव तथा अन्य ब्लॉक प्रभावित होते हैं, जिससे जान-माल को भारी क्षति पहुंचती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इन नदियों को मुख्यधारा में लाने के लिए नेपाल से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता है; और
- (ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी एनओसी प्राप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): वर्ष 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, देश की कुल 603 नदियों की निगरानी की गई और यह पाया गया कि 279 नदियों में से कुल 311 नदी खंड प्रदूषित थे। इसका विवरण <https://cpcb.nic.in/openpdf.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X211ZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=> पर उपलब्ध है।

(ख): दिनांक 4 जनवरी, 2025 के अनुसार इस विषय पर ऐसी कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है।

(ग) से (ड): कोशी, जिताधर और खंडो नदियाँ अपनी मुख्यधारा से अपना मार्ग बदलकर बहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुआनौली, कमलपुर और डगमारा गाँव और सुपौल जिले के अन्य ब्लॉक प्रभावित होते हैं और जान-माल की क्षति होती है। इस संबंध में, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), बिहार सरकार ने परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नामतः "भारत के हिस्से में खंडो नदी और नो मैन्स लैंड में जीता धार का चैनलाइजेशन (54.7992 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ)" गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को सौंप दी है, जिसमें कार्य नो मैन्स लैंड में आते हैं, जिसके निर्माण के लिए नेपाल सरकार से राजनयिक चैनल के माध्यम से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, 20 मार्च 2025 से 24 मार्च 2025 के दौरान बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) के उप-समूह के भारत और नेपाल के सदस्यों द्वारा स्थल का दौरा प्रस्तावित है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 580
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाएं

580. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए निर्माणाधीन, पूरी हो चुकी और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश भर में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में नदियों को परस्पर जोड़ने की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और
- (घ) देश भर में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्राप्त होने वाले कुल लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में जल के अधिशेष बेसिनों से कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें दो घटक अर्थात् हिमालयी घटक (14 आईएलआर परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 आईएलआर परियोजनाएं) हैं। 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, 26 आईएलआर परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट और 30 आईएलआर परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की जा चुकी हैं।

(ख): चूंकि इस सख्त प्रक्रिया में पार्टी राज्यों के बीच सहमति अत्यावश्यक है; इसलिए, एनपीपी के अंतर्गत 30 आईएलआर परियोजनाओं में से अब तक केवल एक परियोजना अर्थात् केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में कोई कोई आईएलआर परियोजना कार्यान्वयन के चरण तक नहीं पहुंची है। केबीएलपी के लिए आबंटित

आबंटित और उपयोग की गई निधि की स्थिति **अनुलग्नक-I** में दर्शाई गयी है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक केबीएलपी पर कुल 8023.37 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ग): केबीएलपी के लिए समझौता ज्ञापन पर मार्च 2021 में पक्षकार राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इसके बाद दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन लिए 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 39,317 करोड़ रुपये के केंद्रीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस परियोजना को मार्च 2030 तक पूरा करने की योजना है।

अन्य आईएलआर परियोजनाओं के, पूर्ण होने की समयावधि संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के संबंध में पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनने और उनके कार्यान्वयन के लिए लिक विशिष्ट समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर करती है।

(घ): आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति और लाभ **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

“आंध्र प्रदेश में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाएं” के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 580 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केबीएलपी के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि की स्थिति

वर्ष	आबंटित बजट (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	4644.46	4639.46
2022-23	1400	622.42
2023-24	3500	1392.37
2024-25	4000	1369.12
		(दिनांक 31.12.2024 तक)

“आंध्र प्रदेश में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाएं” के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 580 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं से लाभान्वित राज्यों का ब्यौरा

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	वार्षिक अंक सिंचाई लाख) (हेक्टेयर	घरेलू और औद्योगिक (मिमी 3)	पन पावर (मेगावाट)	स्थिति
1	क.) महानदी गोदावरी - (मणिभद्र) लिंक (दौलैस्वरम)	आंध्र प्रदेश और (एपी) ओडिशा	4.43	802	445	एफआर पूर्ण
	ख.) वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	6.25 (0.91 + 3.52 + 1.82**)	700 +125**	210 + 240**	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी कृष्णा-(पोलावरम) **लिंक (विजयवाड़ा)**	आंध्र प्रदेश	2.1	162	--	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	2.87	237	975+ 70= 1045	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	2.38	232	26	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	4.74 (0.36+ 4.38)	346	90	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	5.81	124	90	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	1.71	236	40	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	1.79	58	11	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमाटी) - पेन्नार लिंक	कर्नाटक	0.69	467	--	मसौदा डीपीआर पूर्ण
		आंध्र प्रदेश	1.57	29.83		

8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुदुचेरी	4.91 (0.49+ 4.36 +0.06)	1105		एफआर पूर्ण
		आंध्र प्रदेश,	0.51	43	--	डीपीआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	तमिल नाडु	1.14	618		
		पुदुचेरी	--	62		
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	4.48	218	--	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	विकल्प-I = 2 . 3 0 विकल्प-II = 2.20	- 13.2	--	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	एमपी और राजस्थान	3.38 (प्रति ड्राफ्ट पीएफआर के रूप में) मध्य प्रदेश - 2.58 राजस्थान -0.8	राजस्थान-डोमेस्टिक-1723 एमसीएम औद्योगिक-286 एमसीएम एमपी-डोमेस्टिक -36 एमसीएम	--	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति)	--	895	5	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात	2.28	76	21	डीपीआर पूर्ण
		महाराष्ट्र	0.04	--	--	
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	10.62 (2.51 +8.11)	194	103 मेगावाट (हाइड्रो) और 27 मेगावाट (सौर)	डीपीआर पूर्ण और कार्यान्वयन आरंभ हुआ
14	पंजा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु	0.91	--	3.87	एफआर पूर्ण
		केरल			504.5	
15	बेदती - वरदा लिंक@	कर्नाटक	1.05	38	--	डीपीआर पूर्ण

16	नेत्रवती - हेमवती लिंक***	कर्नाटक	0.34	--	--	पीएफआर पूर्ण
----	---------------------------	---------	------	----	----	--------------

**ओडिशा को ओडीशा सरकार के छह परियोजनाओं से लाभ

क्रम संख्या 10 (क) पर पीकेसी लिंक के लिए: विकल्प-I, गांधीसागर बांध के साथ लिफ्टिंग, विकल्प-विकल्प-II राणा प्रताप सागर बांध के साथ लिफ्टिंग

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रेंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (ग्रेंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रेंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। कावेरी कावेरी बेसिन से सटे वेल्लार नदी की सहायक नदी मणिमुखता नदी में लिंक नहर को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट को और अपडेट किया गया था।

@ बेदती-वरदा लिंक- इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

**** गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

*** आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रवती बेसिन में पानी के डायवर्जन डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

हिमालयी घटक

क्र.सं.	नाम	देश/लाभान्वित राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक (मिमी 3)	पन पावर (मेगावाट)	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	4.74 (2.99+1.75)	24	3180	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	8.35 (6.05+1.20 +1.10)	0	--	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	34.58 (28.80+5.78)	700	4375 (बांध पीएच) और 180 (नहर पीएच)	एफआर पूर्ण और परिचालित
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	27.84 (25.30 + 2.54)	1391	10884	मसौदा एफआर पूर्ण

5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	2.95 (2.65 + 0.30)	3054	6620	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	2.51 (0.11+ 2.40)	30	--	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	11.53 (11.21+0.32)	102	--	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	0.67 (0.13 + 0.54)	--	--	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध-गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियां	बिहार और झारखंड	3.07 (2.39 + 0.68)	360	95	मसौदा एफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	3.41 (2.05 + 1.00 + 0.36)	--	--	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	3.559 (0.975+ 1.564+ 1.02)	265	360	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	1.50	184	--	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	12.30 (11.18+ 0.39+ 0.73)	432	--	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	2.16 (0.18+ 1.98)	198	20	एफआर पूर्ण

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 539

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई सुविधाएं

539. श्रीमती भारती पारधी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सिंचाई सुविधाओं में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए नहर प्रणाली में सुधार एवं उन्नयन का कोई प्रस्ताव है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है अतः सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन और प्रबंधन करना तथा राज्य में सिंचाई प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। भारत सरकार की भूमिका चालू स्कीमों के अंतर्गत चिह्नित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय नदी प्रणालियों पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन इस मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक, वृहद / मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने / सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से देश में सिंचाई क्षमता के सृजन, बहाली और स्थिरीकरण के लिए समर्पित है।

महाराष्ट्र की 28 वृहद और मध्यम परियोजनाएं और मध्य प्रदेश की 21 वृहद और मध्यम परियोजनाएं (14 परियोजनाएं और 7 चरण) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल की गई हैं। दोनों राज्यों में से प्रत्येक में अब तक 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के

माध्यम से महाराष्ट्र में 386 लाख हैक्टेयर और मध्य प्रदेश में 183 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग की महाराष्ट्र पैकेज स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र में 177 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसके अतिरिक्त, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा की इसकी 152वीं बैठक में मार्च 2023 मूल्य स्तर पर 332.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिलों को लाभान्वित करने वाली संजय सरोवर परियोजना (ऊपरी वैनगंगा परियोजना) का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण और इस परियोजना के लिए परिकल्पित पूरी नहर प्रणाली की लाइनिंग और क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की मरम्मत का कार्य मंजूर कर लिया गया है। तदुपरांत निवेश स्वीकृति समिति द्वारा अपनी 20वीं बैठक में परियोजना को निवेश स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 30 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल करने के लिए निर्धारित की गई मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए इस परियोजना की सिफारिश की गई है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 536
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पश्चिम बंगाल में गंगा अपरदन परियोजना

536. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पश्चिम बंगाल में गंगा अपरदन परियोजना की स्थिति क्या है;
- (ख) पश्चिम बंगाल में उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग में लाई गई; और
- (ग) गंगा नदी के अपरदन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार गंभीर क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संघ सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, ड्रेनेज विकास, समुद्र कटाव-रोधी, कार्यों आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करते हुए ंवर्षी और ंवर्षी योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया था। जिसे बाद में, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए ंबाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के रूप में जारी रखा गया और आगे वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान विस्तारित किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार को एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन कार्यों को शुरू करने के लिए 1051.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिसमें से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उसने अब तक, 1047.52 करोड़ रुपये राशि का उपयोग किया गया है। अब तक, पश्चिम बंगाल सरकार को एफएमबीएपी योजना के नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र (आरएमबीए) घटक के अंतर्गत, 237.925 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इसमें से, 230.145 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और नादीया जिला में गंगा-पदमा नदी द्वारा होने वाले भू-कटाव की समस्या का सामना करने के लिए एक एकीकृत योजना हेतु संयुक्त तकनीकी अध्ययन करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और संबंधित केंद्र सरकार के विभाग से सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की गई है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 520
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

बिहार में नदियों को आपस में जोड़ना

520. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए किसी विशेष योजना पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पूर्व में कार्यान्वित की गई योजनाओं में कोई खामियां पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या बिहार को प्रतिवर्ष बाहर से नदियों में छोड़े गए प्रलयकारी बाढ़ के पानी का खामियाजा भुगतना पड़ता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत बिहार की किन नदियों को आपस में जोड़े जाने का प्रस्ताव है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में जल के अधिशेष बेसिनों से कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें दो घटक अर्थात् हिमालयी घटक (14 परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 परियोजनाएं) हैं। 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, 26 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट और 30 लिंक परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति का विवरण अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ग): एनपीपी के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना पहली आईएलआर परियोजना है, जिसके कार्यान्वयन की शुरुआत दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के बाद हुई। इस परियोजना को मार्च 2030 तक पूरा किए जाने की योजना है।

(घ): बिहार राज्य बाढ़ के प्रभाव को झेलता है, जो उत्तर बिहार की नदियों जैसे गंडक, बुरही गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा में बढ़े हुए प्रवाह के कारण आती है और यह मुख्य रूप से नेपाल में स्थित ऊपरी कैंचमेंट क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बनता है।

(ङ): एनपीपी के तहत, छह आईएलआर परियोजनाएं बिहार राज्य को लाभान्वित करती हैं। इसके अलावा, बिहार सरकार से एनडब्ल्यूडीए को दस अंतर-राज्य लिंक प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। इन दस अंतर-राज्य लिंक के पीएफआर एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार किए गए, जिनमें से तीन लिंक को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया है। बिहार राज्य से संबंधित आईएलआर और तीन तकनीकी रूप से व्यवहार्य अंतर-राज्य लिंक परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

आईएलआर परियोजनाओं के पूर्ण होने की समयावधि संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के संबंध में पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनने और उनके कार्यान्वयन के लिए लिंक विशिष्ट समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर करता है।

जहां तक अंतर-राज्य लिंक, कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक परियोजना के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का संबंध है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग संबंधी सलाहकार समिति द्वारा उसकी दिनांक 08.03.2024 को हुई बैठक में उसे वर्ष 2022-23 मूल्य स्तर पर 6,282.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकार कर लिया गया है। बाद में, इस परियोजना के लिए निवेश मंजूरी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दी गई और तत्पश्चात, इस परियोजना को दिनांक 21.11.2024 को हुई बैठक में सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने के लिए समुचित रूप से सिफारिश की गई है।

इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, तीन अंतर-राज्य लिंक परियोजनाएं, अर्थात्; बागमती - बुरही गंडक नदी लिंक (बेलवाधार), बागमती- बुरही गंडक (शांति धार) और गंडक- अकाली नाला (छड़ी) – गंडकी – माही - गंगा लिंक बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और इन परियोजनाओं को वर्ष 2025 तक पूरा किए जाने की योजना है।

अनुलग्नक-1

“बिहार में नदियों को आपस में जोड़ना” के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 520 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और (एपी) ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) – पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमाटी) – पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण
8	क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुद्दुचेरी	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और पुद्दुचेरी	डीपीआर पूर्ण

9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिल नाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश और (एमपी) नराजस्था	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मसौदा डीपीआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना का कार्य चल रहा है।
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	डीपीआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक*	कर्नाटक	एफआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (गैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

**आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

@@ बेदती-वरदा लिंक- इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं की गयी थी।

हिमालयी घटक

क्र.सं.	नाम	देश/लाभान्वित राज्य	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	मसौदा एफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण व प्रस्ता) वापिस ले लिया गया (है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

“बिहार में नदियों को आपस में जोड़ना” के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 520 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बिहार से संबंधित आईएलआर परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य/देश	स्थिति
1.	कोसी-मेची आईएलआर परियोजना	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण
4.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियां	बिहार और झारखंड	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	एफआर पूर्ण
6.	जोगीघोषा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव वापिस ले लिया गया है)

बिहार सरकार से प्राप्त अंतर-राज्य लिंक प्रस्तावों का ब्यौरा, जिन्हें व्यवहार्य पाया गया

क्र.सं.	अंतर-राज्य लिंक का नाम	नदी	पीएफआर/डीपीआर की मौजूदा स्थिति
1.	कोसी-मेची अंतर-राज्य लिंक [पूरी तरह से भारत में स्थित है]	कोसी-मेची	डीपीआर पूर्ण
2.	बुढी गंडक- नून- बाया-गंगा	बुढी गंडक, नून, बाया और गंगा	डीपीआर पूर्ण
3.	कोसी-गंगा	कोसी और गंगा	पीएफआर पूर्ण

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 512
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल में संदूषण के हानिकारक प्रभाव

512. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

श्रीमती मंजू शर्मा:

श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को भूजल में आर्सेनिक, पारा और फ्लोराइड संदूषण के उच्च स्तरों के मनुष्यों और पशुओं पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास आर्सेनिक, पारा और फ्लोराइड के संदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव अथवा परियोजना है और इस संबंध में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) राजस्थान में आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता और नाइट्रेट के उच्च स्तरों के कारण संदूषित पेयजल के फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी खतरों से पीड़ित हुए लोगों का जिलेवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
- (घ) क्या सरकार का राजस्थान में जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संचयन अवसंरचना में सुधार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा वर्षा जल को भूमि के भीतर ही बनाए रखने के लिए घरों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): अनुमत्य सीमा से अधिक आर्सेनिक, फ्लोराइड अथवा मरकरी से युक्त भूजल के पेय उद्देश्यों के लिए लंबे समय तक उपयोग करने से स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आर्सेनिक के उपयोग से त्वचा पर घाव, कैंसर, हृदय संबंधी रोग और बच्चों में विकासात्मक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसी प्रकार, भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड के परिणामस्वरूप दंत और स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जल स्रोतों के पारा संदूषण से प्रभावित होने पर मिनामाता रोग (सुन्नता, कंपकंपी, स्मृति हानि और संज्ञानात्मक हानि), गुर्दे की क्षति, भूषण में विकासात्मक विषाक्तता, हृदय संबंधी रोग आदि हो सकते हैं।

(ख): जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता में सुधार करने और संदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का दायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न परियोजनाओं और स्कीमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे नियमित गुणवत्ता मॉनिटरिंग और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान करना, आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं का निर्माण करना और प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना का प्रसार करना, जल आदि में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा जल (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन किया जाना।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल एक महत्वपूर्ण पहल है। यह मिशन देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के उद्देश्य से अगस्त 2019 से देश में लागू है। जल जीवन मिशन के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस मानकों बीआईएस: 10500 को नल के पेय जल सेवा की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है तथा जेजेएम दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली आबादी को 10% वरीयता दी जाए। इसके अतिरिक्त, देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, मुख्यतः महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस बात की सराहना की जा सकती है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूजल और पेयजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड अथवा भारी धातुओं जैसे एकल संदूषकों के उन्मूलन के लिए अलग से निधियां जारी नहीं की जाती हैं। जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्ष 2019 में योजना की शुरुआत से लेकर वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 के महीने तक) तक केंद्र सरकार द्वारा 4.3 लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी और देश में 12.2 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3.7 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, लवणता और नाइट्रेट के उच्च स्तरों से संदूषित पेयजल के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से प्रभावित पीड़ितों की संख्या के संबंध में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ): इस तथ्य के बावजूद कि वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचना का सृजन मुख्य रूप से राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत है, केन्द्र सरकार द्वारा भी इस दिशा में कई उल्लेखनीय पहल की गई हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

- i. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। इस समय देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 10 ऐसे जिलों सहित देश के जल की कमी वाले 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
- ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जलभृत विन्यास और उनके विशिष्टीकरण की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) शुरू किया गया है। राजस्थान के 3.34 लाख वर्ग किमी सहित पूरे देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और इन प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पथ-दर्शक उद्देश्यों के लिए और चयनित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। पिछले 3 वर्षों में, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जोधपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों को शामिल करते हुए राजस्थान के जल की कमी चिन्हित क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संवर्धन पर परियोजना शुरू की गई है। इन संरचनाओं में मृदा / ग्रेविटी बांध, चेक बांध, एनीकट और तालाबों सह पुनर्भरण शाफ्ट शामिल हैं।
- iv. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर अभियान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राजस्थान सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण / पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से राजस्थान में लगभग 3,138 हैं।

(ड): सरकार के जल संरक्षण प्रयासों की सफलता के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, निजी घरों की छत पर वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है

क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी और जमीनी स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई प्रदर्शित होती हैं।

- i. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम करने हेतु एक मॉडल बिल परिचालित किया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* छत के वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है। अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूजल कानून को अपनाया और इन्हें कार्यान्वित किया गया है।
- ii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज (एमबीबीएल), 2016 तैयार किए गए हैं, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। एमबीबीएल के अनुसार, 100 वर्गमीटर या उससे अधिक के आकार वाले सभी भवनों में वर्षा जल संचयन के प्रस्ताव को शामिल करना अनिवार्य होगा। 35 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मॉडल उप-नियमों की विशेषताओं को अपनाया गया है।
- iii. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से 'जल संचयन जन भागीदारी'- भारत में जल स्थिरता के लिए एक समुदाय-संचालित पथ को शुभारंभ किया गया है। जेएसजेबी के तहत, देश भर में सामुदायिक नेतृत्व के साथ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के विनिर्माण हेतु सभी हितधारकों को एक साथ लाकर कस्बों और गांवों में विभिन्न सार्वजनिक और निजी भवनों में ऐसी संरचनाओं को स्थापित करने के लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- iv. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा “भूजल कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी गाइड” और “भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी नियमावली” तैयार की गई है जिसमें इन संरचनाओं के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचना दी गई है। इसमें विशेष रूप से शहरी रिहाइशों के लिए उपयुक्त छत के वर्षा जल संचयन के संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 493
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

केरल में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

493. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए मिशन (अमृत 2.0) योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत केरल में स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की जाने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और
- (ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को 66,750 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता के साथ उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अमृत 2.0 दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं को डिजाइन, अनुमोदित, प्राथमिकता देने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए अधिकृत किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

अमृत 2.0 के तहत, केरल राज्य में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कुल 740 परियोजनाओं को 3,743.43 करोड़ रूपए (ऑपरेशंस और मेंटेनेंस लागत सहित) को अनुमोदन दिया गया है, जिसमें 91 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 2,413.66 करोड़ रूपए की 251 जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/केरल द्वारा सूचित की गई परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति (दिनांक 27.01.2025 की स्थिति अनुसार) इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजनाओं की संख्या	राशि (करोड़ रूपए में)	चरण/स्थिति
1.	130	932.70	अवार्ड किया गया
2.	26	368.94	टेंडर
3.	79	640.76	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए कुल 465.19 करोड़ रूपए के कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुके हैं।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 486
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल विरासत संरचनाएं

486. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अमृत महोत्सव के दौरान तमिलनाडु राज्य से चार जल विरासत संरचनाओं (डब्ल्यूएचएस) की पहचान की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) तमिलनाडु में जल विरासत संरचनाओं के रखरखाव/उन्नयन के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार द्वारा 2024-25 के बजट में तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में जल विरासत संरचनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा पूरे भारत वर्ष में पचहत्तर प्राचीन जल संरक्षण संरचनाओं चिह्नित की गई है, जिन्हें "जल विरासत संरचनाएँ" (डब्ल्यूएचएस) के रूप में नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन 75 जल विरासत संरचनाओं में से 07 की पहचान तमिलनाडु से की गई है। तमिलनाडु से चिह्नित की गई इन सात जल विरासत संरचनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	संरचना का नाम	स्थान		
		गांव/शहर	ज़िला	राज्य
1	कल्लनई बांध (कावेरी पर ग्रेड एनीकट)	तंजावुर	तंजावुर	तमिलनाडु

2	वीरानम टैंक	वीरानंधापुरम	कुड्डालोर	तमिलनाडु
3	कलिंगारायण एनीकट	मेट्टुनसुवमपलयम/भवानी	इरोड	तमिलनाडु
4	लोअर एनीकट	अनाइकराय	तंजावुर	तमिलनाडु
5	बकिंघम नहर (कोम्मामुर नहर)			तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
6	नॉय्याल रिवर सिस्टम टैंक	नॉय्याल के किनारे कई स्थान	कोयंबटूर, तिरुपुर	तमिलनाडु
7	वंडीयूर मारीअम्मन टेप्पाकुलम	वंडियूर	मदुरै	तमिलनाडु

(ग): जल राज्य का विषय है फिर भी, केंद्र सरकार, तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के प्रयासों से सहायता करती है। इस संबंध में, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा राज्य सरकारों से इन संरचनाओं के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे उपयुक्त नोडल एजेंसी की पहचान करने के बाद, राज्य पुरातत्व विभागों, संबंधित एजेंसियों और जिला प्रशासन से परामर्श करते हुए इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।

(घ): जी, नहीं।

(ड): प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 479
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्थिति

479. श्री बलराम नाइक पोरिका:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार की पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या तेलंगाना की ओर से उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की कोई मांग की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): वर्तमान में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोई राष्ट्रीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग): तेलंगाना सरकार ने पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। तथापि, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा परियोजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, के बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा परियोजना की स्वीकृति, इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने हेतु किसी भी परियोजना पर आगे विचार करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। पलामारु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितंबर, 2022 में सीडब्ल्यूसी को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है। चूंकि पलामारु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना में कृष्णा नदी के पानी का उपयोग शामिल है और परियोजना के अंतर-राज्य पहलुओं को कृष्णा जल विवाद अधिकरण-11 के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया गया है, ये मामला अभी विचाराधीन है और इस समय पलामारु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 475
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

परवन नदी बहुउद्देशीय परियोजना

475. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) परवन नदी बहुउद्देशीय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसका उद्देश्य झालावाड़ और बारां जिलों के लिए सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन में सुधार करना है और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल किए जाने और धन आवंटन के बावजूद इसकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;
- (ख) बांध, जल सुरंग और सिंचाई बुनयादी ढांचे सहित इस परियोजना के प्रमुख घटकों के पूरा होने में देरी का कारण बनने वाली विशिष्ट चुनौतियां क्या हैं;
- (ग) इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
- (घ) सरकार परवन नदी बहुउद्देशीय परियोजना की धीमी प्रगति के बारे में स्थानीय हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को किस तरह से दूर करने की योजना बना रही है; और
- (ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है कि उक्त परियोजना बिना अधिक विलंब के पूरी हो और इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाए?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ङ): परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा विनिर्मित किया जा रहा है और इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना से 2.01 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई नेटवर्क के माध्यम से 1.22 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई क्षमता के साथ राजस्थान के झालावाड़, बारां और कोटा जिलों में पेयजल सहित औद्योगिक जलापूर्ति की जाएगी।

इस समय, बांध और सुरंग के 88% कार्य के साथ नहर और पाइप नेटवर्क का 60% कार्य पूरा किया जा चुका है। इस परियोजना के सिंचाई और जलापूर्ति घटकों (विनिर्माण) पर नवंबर 2024 तक उपर्युक्त घटकों की अनुमानित लागत 4,605.99 करोड़ रुपए की तुलना में 3,473.43 करोड़ रुपए के व्यय किया जाना सूचित किया गया है। इसके अलावा, इसे 364.19 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है और परियोजना के 694.78 करोड़ रुपए की पात्र केंद्रीय सहायता के समक्ष 69.49 करोड़ रुपए की राशि हेतु मदर सेंक्शन जारी की गई है।

इस परियोजना को समय से पूरा किए जाने में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य प्रमुख चुनौतियां रही हैं। इसके स्थल विशिष्ट डिजाइन और कार्यान्वयन संबंधी मामले भी कार्य की अपेक्षित गति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना से प्रभावित लोगों और किसानों से जुड़े मामलों का निपटान नियमित रूप से किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) परियोजनाओं के अधिदेश को देखते हुए, इस परियोजना की नियमित निगरानी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जा रही है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा परियोजना-वार परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाता है। इन परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा अनुरक्षित प्रबंधन सूचना प्रणाली के एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से भी की जाती है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 473
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

वर्षाजल संचयन की योजनाएं

473. डॉ. के. सुधाकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में वर्षाजल संचयन में बढ़ोतरी के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में जल संकट के प्रभाव को रोकने और इस बढ़ती समस्या के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या कर्नाटक में भूजल स्तर पर कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर के संबंध में ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में भूजल पुनर्भरण बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में जल संकट की समस्या के समाधान और इस बढ़ती समस्या के प्रबंधन हेतु वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

- i. भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) नामक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं।
- ii. 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसके अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

- iii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो जेएसए की श्रृंखला में 5वां अभियान है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (केम्पा), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का अभिसरण है। इस अभियान के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन शामिल है।
- iv. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में जल निकायों (जिसमें सीवेज / बहिःसाव का प्रवाह नहीं हो रहा है) में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन के माध्यम से वर्षा जल संचयन का प्रावधान है। इस योजना का लक्ष्य 'जलभृत प्रबंधन योजना' का निर्माण कर शहर की सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में संवर्धन हेतु एक रोडमैप विकसित करते हुए भूजल पुनर्भरण में सुधार हेतु कार्यनीति तैयार करना है। आईईसी अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।
- v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर समुचित ध्यान देने के साथ साथ स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, यथा दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014।
- vi. भारत सरकार द्वारा 7 राज्यों नामतः हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में दिनांक 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना भूजल विकास से भूजल प्रबंधन तक एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- vii. भारत सरकार द्वारा "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल की प्रत्यक्ष उपलब्धता सुनिश्चित करना है और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार, स्थायी जल संरक्षण प्रथा आदि को शुरू करना है। पीएमकेएसवाई के तीन घटक/योजनाएं हैं, जिनमें हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) योजना और सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना शामिल हैं।

- viii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में संवर्धन हेतु एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 20.10.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूई) की स्थापना की गई है।
- ix. वर्तमान में मिशन अमृत सरोवर का देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण/पुनरुद्धार के प्रावधानों के साथ कार्यान्वयन किया गया था, जिसका उद्देश्य जल संचयन और संरक्षण है।
- x. केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के मैपिंग योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग (नेक्यूम) परियोजना पूरी हो गई है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु इसे संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।
- xi. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना-2020 भी तैयार की गई है यह अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भौगोलिक स्थितियों के लिए संरचनाओं को शामिल करने वाली एक वृहत स्तरीय योजना है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा के संरक्षण हेतु देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।
- xii. भूजल प्रबंधन एवं विनियमन स्कीम के अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए देश में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। ये परियोजनाएं राज्य सरकारों को उपयुक्त भू-जल वैज्ञानिक स्थितियों में इन्हें अपनाने हेतु सक्षम बनाती हैं।
- xiii. जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन किया गया है तथा वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।
- xiv. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा आधारित और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन किया जाता है। इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका संबंधी कार्य आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई द्वारा इन उपायों के माध्यम से बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों को संवेदनशील बनाते हुए सतत विकास सुनिश्चित किया जाता है।

(ग): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कर्नाटक राज्य सहित देश भर में मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त, नवम्बर और जनवरी माह के दौरान प्रत्येक वर्ष चार बार भूजल स्तर की मानीटरिंग की जाती है। कर्नाटक राज्य के लिए नवंबर 2024 के माह के लिए मैपिंग किए गए चिक्काबल्लापुरा जिले सहित जिलावार जल स्तर का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है। मानसून पश्चात 2024 के जल स्तर के अनुसार, चिक्काबल्लापुरा जिले में विश्लेषण किए गए कूपों में से लगभग 83% ने जमीनी स्तर से 0 से 2 मीटर के मध्य जल स्तर पाया गया।

कर्नाटक राज्य में भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2024 के दौरान कर्नाटक में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2014-2023) के दशकीय औसत से की गई है। कर्नाटक के संबंध में माध्य (मानसून पश्चात 2014 से 2023) और मानसून पश्चात 2024 के साथ जिलावार दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव का विवरण अनुलग्नक-11 में प्रस्तुत किया गया है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि चिक्काबल्लापुर जिले के लिए विश्लेषण किए गए सभी कूपों के जल स्तर में वृद्धि हुई है।

(घ): सरकार द्वारा देश में भूजल पुनर्भरण में वृद्धि और जल स्तर में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं। जल शक्ति अभियान (जेएसए) 2019 की शुरुआत जल की कमी वाले 256 जिलों में मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में की गई थी। इन प्रयासों को जारी रखने के लिए, कैच द रेन (सीटीआर) अभियान 2020 में शुरू किया गया था, जिसे बाद में 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) में शामिल कर लिया गया, जिसमें देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब एक वार्षिक अभियान, जेएसए: सीटीआर वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं पर केंद्रित है।

उपरोक्त विजन को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के सूरत में दिनांक 6 सितंबर, 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) संबंधी पहल की शुरुआत की गई थी। जेएसए: सीटीआर के तहत इस विशेष पहल का उद्देश्य गुजरात के जल संचय कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाना है, यह कार्यक्रम एकीकृत समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देता है।

जेएसजेबी कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से लागत प्रभावी तरीके से जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें स्थानीय समुदायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। व्यापक भागीदारी के माध्यम से यह पहल भारत की बढ़ती जल चुनौतियों का एक स्थायी समाधान प्रदान करती है।

जेएसजेबी का लक्ष्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और पारंपरिक तरीकों के संयोजन का उपयोग कर शहरी और ग्रामीण भारत में एक मिलियन कम लागत वाली पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना है। यह पहल स्थानीय समुदायों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को शामिल करते हुए सक्रिय भागीदारी और स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है।

यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है जिसमें न केवल मनरेगा, अमृत, पीएमकेएसवाई आदि जैसी सरकारी योजनाओं से वित्त पोषण होता है , बल्कि यह जन भागीदारी, स्वामित्व और स्थिरता के लिए उद्योग - सीएसआर, परोपकार, व्यक्तिगत दानदाताओं, क्राउडफंडिंग आदि जैसे माध्यमों से भी वित्त पोषण करता है।

इसके अतिरिक्त, कर्णाटक राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत कर्णाटक सरकार द्वारा जल संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन और सतत कृषि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भूजल पुनर्भरण बढ़ाने और जल स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन किया गया है। प्रमुख उपायों में चेक डैम, परकोलेशन टैंक, खेत तालाब, रिचार्ज कुएं और बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ पारंपरिक जल निकायों से गाद निकालना और उन्हें गहरा करना भी शामिल है। अपवाह को कम करने और अंतःप्रवेश में सुधार करने में मदद करने के लिए कंदूर ट्रेंच, बांधों, वृक्षारोपण और गली प्लगिंग जैसे वाटरशेड प्रबंधन प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक नेतृत्व वाले जल बजट, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना के साथ अभिसरण ने इन प्रयासों को और सुदृढ़ किया है। विगत वर्ष 2024-25 में 560.05 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 1,46,590 जल संरक्षण कार्य शुरू किए गए और इसमें समुचित प्रगति हुई है, जिससे भूजल पुनर्भरण और स्थायी जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ है।

‘वर्षाजल संचयन की योजनाएं’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उतर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 473 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मानसून पश्चात वर्ष 2024 में प्रेक्षण कुओं की गहराई की तुलना में उनमें जलस्तर वितरण (अपरिरुद्ध जलभृत) की प्रतिशतता का जिला वार विवरण															
क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	गहराई की तुलना में जल स्तर (एमबीजीएल) दिखाने वाले कुएं की संख्या / प्रतिशत											
				0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
				संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	कर्नाटक	बागलकोट	25	6	24.0	9	36.0	8	32.0	1	4.0	1	4.0	0	0.0
2	कर्नाटक	बल्लारी	10	4	40.0	4	40.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	10	4	40.0	3	30.0	2	20.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
4	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	18	7	38.9	10	55.6	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	कर्नाटक	बीदर	32	6	18.8	14	43.8	10	31.3	2	6.3	0	0.0	0	0.0
6	कर्नाटक	चामराजनगर	17	8	47.1	3	17.6	5	29.4	1	5.9	0	0.0	0	0.0
7	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर	6	5	83.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	कर्नाटक	चिक्कामगलुरु	69	17	24.6	28	40.6	23	33.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0
9	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	24	12	50.0	8	33.3	4	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	91	12	13.2	31	34.1	43	47.3	5	5.5	0	0.0	0	0.0
11	कर्नाटक	दावणगेरे	40	26	65.0	13	32.5	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0
12	कर्नाटक	धारवाड़	24	10	41.7	7	29.2	5	20.8	2	8.3	0	0.0	0	0.0
13	कर्नाटक	गडग	19	4	21.1	5	26.3	8	42.1	1	5.3	1	5.3	0	0.0
14	कर्नाटक	हसन	62	25	40.3	18	29.0	17	27.4	2	3.2	0	0.0	0	0.0
15	कर्नाटक	हावेरी	22	9	40.9	9	40.9	4	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	कर्नाटक	कलबुर्गी	53	20	37.7	24	45.3	7	13.2	2	3.8	0	0.0	0	0.0
17	कर्नाटक	कोडागू	71	13	18.3	22	31.0	27	38.0	9	12.7	0	0.0	0	0.0

18	कर्नाटक	कोलार	20	11	55.0	9	45.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19	कर्नाटक	कोप्पल	21	7	33.3	11	52.4	3	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20	कर्नाटक	मंड्या	38	19	50.0	13	34.2	6	15.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21	कर्नाटक	मैसूर	50	23	46.0	17	34.0	7	14.0	3	6.0	0	0.0	0	0.0
22	कर्नाटक	रायचूर	38	11	28.9	13	34.2	14	36.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23	कर्नाटक	रामानगर	26	13	50.0	9	34.6	3	11.5	1	3.8	0	0.0	0	0.0
24	कर्नाटक	शिवमोगा	77	18	23.4	21	27.3	33	42.9	5	6.5	0	0.0	0	0.0
25	कर्नाटक	तुमकुरु	35	20	57.1	12	34.3	2	5.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0
26	कर्नाटक	उडुपी	68	4	5.9	24	35.3	37	54.4	3	4.4	0	0.0	0	0.0
27	कर्नाटक	उत्तर कन्नड	75	18	24.0	28	37.3	24	32.0	5	6.7	0	0.0	0	0.0
28	कर्नाटक	विजयनगर	16	10	62.5	6	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29	कर्नाटक	विजयपुरा	55	15	27.3	32	58.2	8	14.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	कर्नाटक	यादगीर	24	7	29.2	10	41.7	7	29.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		कुल	1136	4	4	414	4	0	9	46	5	2	8	0	0.00

‘वर्षाजल संचयन की योजनाएं’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 473 भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मानसून पश्चात 2024 (अपरिरुद्ध जलभृत) के साथ मानसून पश्चात 2014 से 2023 के मध्य जल स्तर में परिवर्तन का वर्गीकरण															
क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	जिला का नाम	विक्षेपित कूपों की संख्या	जल स्तर में उतार चढ़ाव (एमबीजीएल) दिखाने वाले कुएं की संख्या / प्रतिशत											
				वृद्धि					गिरावट						
				0 से 2	2 से 4	> 4	0 से 2	2 से 4	> 4						
1	कर्नाटक	बागलकोट	24	14	58.3	3	12.5	2	8.3	1	4.2	3	12.5	1	4.2
2	कर्नाटक	बल्लारी	10	3	30.0	5	50.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0
3	कर्नाटक	बेंगलुरु ग्रामीण	9	7	77.8	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी	18	10	55.6	1	5.6	0	0.0	7	38.9	0	0.0	0	0.0
5	कर्नाटक	बीदर	31	13	41.9	4	12.9	2	6.5	11	35.5	0	0.0	1	3.2
6	कर्नाटक	चामराजनगर	16	5	31.3	4	25.0	1	6.3	5	31.3	1	6.3	0	0.0
7	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर	6	3	50.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8	कर्नाटक	चिक्कामगलुरु	67	41	61.2	10	14.9	3	4.5	13	19.4	0	0.0	0	0.0
9	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	24	9	37.5	8	33.3	6	25.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
10	कर्नाटक	दक्षिण कन्नड़	89	63	70.8	5	5.6	2	2.2	16	18.0	1	1.1	0	0.0
11	कर्नाटक	दावणगेरे	38	25	65.8	4	10.5	1	2.6	7	18.4	1	2.6	0	0.0
12	कर्नाटक	धारवाड़	24	12	50.0	7	29.2	4	16.7	1	4.2	0	0.0	0	0.0
13	कर्नाटक	गडग	19	8	42.1	6	31.6	3	15.8	2	10.5	0	0.0	0	0.0
14	कर्नाटक	हसन	62	35	56.5	8	12.9	9	14.5	9	14.5	0	0.0	1	1.6
15	कर्नाटक	हावेरी	21	8	38.1	4	19.0	6	28.6	3	14.3	0	0.0	0	0.0
16	कर्नाटक	कलबुर्गी	51	31	60.8	8	15.7	1	2.0	11	21.6	0	0.0	0	0.0
17	कर्नाटक	कोडागू	65	43	66.2	3	4.6	3	4.6	13	20.0	2	3.1	0	0.0
18	कर्नाटक	कोलार	19	12	63.2	4	21.1	0	0.0	3	15.8	0	0.0	0	0.0
19	कर्नाटक	कोप्पल	20	12	60.0	3	15.0	3	15.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0
20	कर्नाटक	मंड्या	34	19	55.9	3	8.8	1	2.9	7	20.6	4	11.8	0	0.0
21	कर्नाटक	मैसूर	47	28	59.6	9	19.1	2	4.3	7	14.9	1	2.1	0	0.0
22	कर्नाटक	रायचूर	36	18	50.0	0	0.0	2	5.6	10	27.8	4	11.1	1	2.8
23	कर्नाटक	रामानगर	26	17	65.4	1	3.8	1	3.8	7	26.9	0	0.0	0	0.0
24	कर्नाटक	शिवमोगा	75	50	66.7	2	2.7	0	0.0	22	29.3	1	1.3	0	0.0
25	कर्नाटक	तुमकुरु	33	19	57.6	6	18.2	3	9.1	4	12.1	1	3.0	0	0.0
26	कर्नाटक	उडुपी	58	30	51.7	0	0.0	1	1.7	22	37.9	4	6.9	1	1.7

27	कर्नाटक	उत्तर कन्नड	75	34	45.3	2	2.7	0	0.0	36	48.0	0	0.0	2	2.7	
28	कर्नाटक	विजयनगर	16	6	37.5	4	25.0	5	31.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	
29	कर्नाटक	विजयपुरा	54	23	42.6	7	13.0	5	9.3	15	27.8	1	1.9	1	1.9	
30	कर्नाटक	यादगीर	20	13	65.0	1	5.0	0	0.0	4	20.0	2	10.0	0	0.0	
					56.2				6.0	24	22.2		2.3		0.7	
		कुल	1087	611		1	127	11.68	66	7	2	6	26	9	8	4

*7 कुओं में जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 472
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में भूजल संसाधन

472. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में भूजल संसाधनों को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

जल राज्य का विषय है और भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी, जिसमें भूजल संसाधनों में सुधार के लिए पहल करना शामिल है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने देश के भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिनमें तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिला भी शामिल है और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

- i. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, जेएसए 2024 पूरे देश में चल रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ मिलकर भूजल पुनर्भरण और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में जेएसए के तहत कुल 16,309 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है/चल रहा है।
- ii. तमिलनाडु सहित देश के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण अध्ययन किए गए हैं। तिरुनेलवेली जिले के कुल मानचित्रण योग्य क्षेत्र को राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्व्यूआईएम) के अंतर्गत कवर किया गया है। मांग और आपूर्ति पक्ष आधारित दोनों उपायों के लिए सिफारिशें शामिल करते हुए जिलावार भूजल प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गई हैं तथा कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला अधिकारियों के साथ साझा की गई हैं।

- iii. देश के गतिशील भूजल संसाधनों का वार्षिक मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वर्ष 2024 के नवीनतम आकलन के अनुसार, भूजल दोहन का चरण, जो वार्षिक दोहन योग्य भूजल संसाधन पर सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग) के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण का एक माप है, तिरुनेलवेली जिले के लिए 43% है, जो दर्शाता है कि जिला 'सुरक्षित' श्रेणी में है।
- iv. भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें परियोजना की विस्तृत रूपरेखा और अपेक्षित निवेश उपलब्ध कराए गए हैं। मास्टर प्लान में देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है, ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी का दोहन किया जा सके। मास्टर प्लान को उपयुक्त उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के लिए कुल 5,207 वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की सिफारिश की गई है।
- v. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य तमिलनाडु सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशयों का विकास और पुनरुद्धार करना था। परिणामस्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 70 तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हैं।
- vi. भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव की निगरानी के लिए तिरुनेलवेली जिले में कुल 31 डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) लगाए गए हैं और गुणवत्ता निगरानी सुविधाओं वाले 2 डीडब्ल्यूएलआर लगाए गए हैं। उक्त डीडब्ल्यूएलआर का डेटा नियोजन और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के साथ साझा किया जा रहा है।
- vii. केंद्रीय भूजल बोर्ड स्थानीय भूजल मुद्दों पर विभिन्न सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर II और टियर-III कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देना शामिल है। तिरुनेलवेली जिले में अभी तक दो पीआईपी आयोजित किए जा चुके हैं।
- viii. इसके अलावा, तमिलनाडु के जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने तिरुनेलवेली जिले में गदनान्धी उप बेसिन और थामिराबारानी उप बेसिन में 21 चेक डैम और एक-एक कृत्रिम पुनर्भरण संरचना का निर्माण किया है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 469
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी

469. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-हर खेत को पानी योजना के जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) उप-घटक के अंतर्गत चयनित जल निकायों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) आंध्र प्रदेश में आरआरआर घटक के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु चयनित जल निकायों की संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजन हेतु राज्य को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत एवं वितरित की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आंध्र प्रदेश में चयनित किसी भी जल निकाय की अब तक मरम्मत या पुनरुद्धार नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सरकार को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि हेतु आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के उप-घटक, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के अंतर्गत, चयनित जल निकायों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है,

(ख): विवरण निम्नवत है;

योजना नाम	शामिल किए जाने का वर्ष	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	पात्र केंद्रीय हिस्सा (केंद्रीय सहायता) (करोड़ रु.)	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु.)
100 आरआरआर	2018-19	66.77	40.06	2.70
135 आरआरआर	2021-22	70.72	42.42	0.00

(ग) और (घ): वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के तहत केंद्रीय सहायता के लिए शामिल, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार कार्य हेतु 100 जल निकायों में से 36 जल निकायों का पुनरुद्धार कार्य पूरा किया जा चुका है। चूंकि, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और उनका पुनरुद्धार कार्य करना राज्यों के स्वयं के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह अपनी प्राथमिकता और उपलब्ध निधियों के आधार पर जल निकायों के पुनरुद्धार और कार्यान्वयन की योजना तैयार करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) घटक के अंतर्गत भारत सरकार की भूमिका केवल तकनीकी सहायता और संबंधित राज्य सरकार की मांग पर उनके ऐसे प्रयासों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित होती है।

‘आंध्र प्रदेश में पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 469 भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए जल निकायों की संख्या	शामिल किए जाने का वर्ष	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
1	आंध्र प्रदेश	100	2018-19	66.77
		135	2021-22	70.72
2	बिहार	27	2018-19	64.93
		66	2019-20	96.97
3	गुजरात	61	2018-19	102.91
4	नागालैंड	17	2023-24	35.63
5	ओडिशा	103	2017-18	87.51
		574	2022-23	539.49
6	राजस्थान	36	2017-18	95.46
		37	2021-22	124.71
		84	2023-24	142.92
7	तमिलनाडु	49	2018-19	23.43
		89	2019-20	46.81
		9	2020-21	4.17
		115	2021-22	71.89
		85	2022-23	80.83
		100	2022-23	83.77
8	तेलंगाना	176	2017-18	120.49
		147	2017-18	162.71
		70	2017-18	50.53
कुल योग		2080		2072.63

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 468
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

व्यापार योग्य जल क्रेडिट हेतु रूपरेखा

468. श्री आदित्य यादव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर व्यापार योग्य जल क्रेडिट हेतु ढांचा विकसित करने के लिए बाजार आधारित समाधान की आवश्यकता है जो जल संरक्षण और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यह ध्यान में रखते हुए कि रूपरेखा में परिभाषित जल गुणवत्ता आउटपुट के साथ जल खपत को कम करने के लिए परियोजना डिजाइन, गतिविधियां और प्रमाणन शामिल होना चाहिए, सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित की जाने वाली पहल क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): केंद्रीय सरकार द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरण सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है, ताकि ग्रीन क्रेडिट जारी किए जा सकें।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 466
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचना

466. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रत्येक राज्य में स्थापित कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या तथा उनके रखरखाव पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस पहल के अंतर्गत कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण हेतु जुटाई गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रत्येक राज्य में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की मौजूदा संख्या कितनी है तथा इस पहल में भाग लेने के लिए सहयोग करने हेतु सहमत परिवारों की संख्या कितनी है; और
- (घ) कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचना के कार्यान्वयन के बाद भूजल स्तर पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव क्या हैं और इस पहल के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) को कार्यान्वित कर रहा है और जेएसए: सीटीआर 2024 जेएसए: सीटीआर का कार्यान्वयन इसकी श्रृंखला का पांचवां संस्करण है। अभियान के पांच केंद्रित कार्यकलाप हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण शामिल हैं जिसके तहत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण/पुनर्निर्माण किया जाता है। इन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं में चेक डैम, तालाब/टैंक, खाई, छत संचयन संरचनाएं, अन्य वर्षा जल पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाएं, पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार, सोख गड्ढे, स्थिरीकरण तालाब, अन्य पुनः उपयोग/रिचार्ज संरचनाएं, गली प्लग, रिसाव टैंक, कंपित

खाइयां आदि शामिल हैं। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; पारंपरिक और अन्य जलाशयों/टैंकों का नवीनीकरण; पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं और वाटरशेड विकास के तहत वर्ष 2021 से 2024 के दौरान स्थापित इन संरचनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है। जहां तक इन संरचनाओं के रखरखाव के लिए किए गए व्यय का संबंध है, चूंकि रखरखाव एक सतत और नियमित प्रक्रिया है, राज्य इन संरचनाओं के रखरखाव के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करते हैं। जेएसए: सीटीआर विभिन्न केंद्रीय, राज्य सरकार की योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएमपीए), 15 वें वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि से धन का उपयोग करके अभिसरण वित्तपोषण के आधार पर काम करता है।

(ख): जेएसए: सीटीआर अभियान अपने कार्यान्वयन में सीएसआर फंड सहित अभिसरण वित्तपोषण का उपयोग करता है। इस दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए, जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में माननीय प्रधान मंत्री की आभासी उपस्थिति में शुरू की गई थी। जेएसजेबी का लक्ष्य वैज्ञानिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों के संयोजन का उपयोग करके शहरी और ग्रामीण भारत में दस लाख कम लागत वाली पुनर्भरण संरचनाएं निर्मित करना है। यह पहल स्थानीय समुदायों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को शामिल करके सक्रिय भागीदारी और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है, जो न केवल सरकारी योजनाओं से बल्कि लोगों की भागीदारी, स्वामित्व और स्थिरता के लिए उद्योग - सीएसआर, परोपकार, व्यक्तिगत दाताओं, क्राउडफंडिंग आदि जैसे निजी वित्त जुटाने से भी धन प्राप्त करता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) जल संचय जन भागीदारी पहल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें कई हितधारक जल संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों के साथ-साथ परोपकारी लोगों और कॉर्पोरेट संस्थाओं ने जल सुरक्षा का समाधान करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए इस पहल को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। इस पहल की सफलता से प्रेरित होकर, राजस्थान सरकार ने "कर्मभूमि से मातृभूमि" योजना शुरू की है, जो लोगों को अपने मूल क्षेत्रों में जल संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(ग): जल राज्य का विषय है, और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र रूप से धन मुहैया कराता है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत, अभिसरण कार्रवाई के माध्यम से पूरे देश में

वर्षा जल संचयन संरचनाएं विकसित की गई हैं। वर्ष 2021 से जेएसए: सीटीआर के तहत बनाई गई इन संरचनाओं का राज्यवार विवरण पहले से ही अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपाय अपनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जैसे दिल्ली के एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिसमें व्यक्तिगत घरों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रभावी जल संरक्षण तरीकों को बढ़ावा देने हेतु इन दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय उन घरों की संख्या नहीं रखता है जिन्होंने इस पहल में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है। हालांकि, जेएसजेबी पहल, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), निजी घरों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी उद्योगों, सरकार, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं आदि को इस पहल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है

(घ): क्षेत्रों में जल संरक्षण पहलों को लागू करना कई चुनौतियां पेश करता है। प्राथमिक चिंताओं में से एक स्रोत जल की उपलब्धता और गुणवत्ता है, जो सीधे कृत्रिम पुनर्भरण की व्यवहार्यता को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम पुनर्भरण (एआर) और जल संरक्षण (डब्ल्यूसी) संरचनाओं का निर्माण अत्यधिक स्थल-विशिष्ट है, जिसके लिए क्षेत्र की व्यवहार्यता और अंतर्निहित जलभृतों की भंडारण क्षमता का सावधानी पूर्वक आकलन करने की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई प्रमुख पहल की हैं। लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाली राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना के परिणामस्वरूप जलभृत मानचित्र और भूजल प्रबंधन योजनाओं का विकसित की गई है। राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई इन योजनाओं में जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए मांग-आधारित और आपूर्ति-आधारित दोनों उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है, जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न इलाकों की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक वृहद स्तर की योजना है। इस मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संबंधित राज्य सरकार के संबंधित लाइन विभाग द्वारा किसी अन्य जलापूर्ति परियोजना या शहर विकास परियोजना की तरह कार्यान्वयन योग्य स्तर पर तैयार की जाती

है। मौजूदा योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के पास है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रत्येक राज्य के एक जिले में इसे लागू किया गया है। मार्गदर्शन के लिए एनडब्ल्यूएम के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तकनीकी सलाह और सरल अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) विकसित किए गए हैं और सभी हितधारकों द्वारा समुदाय में व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं और यह जेएसए: सीटीआर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

राज्य सरकारों के सहयोग से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए भूजल संसाधन मूल्यांकन से पता चलता है कि सतत संरक्षण प्रयासों के कारण भूजल पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से पुनर्भरण वर्ष 2017 में 13.98 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) से बढ़कर 2024 में 25.34 बीसीएम हो गया, जो जल संरक्षण की सफलता को दर्शाता है। वर्ष 2022 में 23.47 बीसीएम, 2023 में 24.99 बीसीएम और 2024 में 25.34 बीसीएम के शिखर के साथ एक स्थिर आरोही प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। जहां ये लाभ राज्य और केंद्र सरकारों दोनों द्वारा प्रभावी उपायों को उजागर करते हैं, वहीं भूजल स्तर में सुधार कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें वर्षा और रणनीतिक जल प्रबंधन प्रथाएं शामिल हैं।

‘कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचना’ के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उतर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 466 भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 2021 से 2024 के दौरान स्थापित कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का राज्यवार विवरण: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर)

क्र. सं.	राज्य	जेएसए वर्ष	जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन	पारंपरिक जलाशयों का नवीनीकरण	पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं	वाटरशेड विकास	कुल जल संबंधी कार्य (वर्षवार)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2021	53	880	56	12	1001
		2022	122	38	113	41	314
		2023	68	42	188	115	413
		2024	81	29	198	56	364
2	आंध्र प्रदेश	2021	179098	32594	1999	42166	255857
		2022	105398	34828	872	35820	176918
		2023	104729	51440	13428	58131	227728
		2024	79695	41828	13902	47726	183151
3	अरुणाचल प्रदेश	2021	694	18	173	462	1347
		2022	1079	171	163	309	1722
		2023	932	123	320	531	1906
		2024	1752	146	300	810	3008
4	असम	2021	20380	22401	101	21265	64147
		2022	15273	2138	36	15905	33352
		2023	16836	1722	2133	17447	38138
		2024	24163	2437	3415	27525	57540
5	बिहार	2021	50101	9251	43953	28954	132259
		2022	51872	8565	11951	25515	97903
		2023	90464	11447	26028	43709	171648
		2024	99627	9439	32426	50506	191998
6	चंडीगढ़	2021	120	0	0	0	120
		2022	0	0	0	0	0
		2023	0	0	0	0	0
		2024	199	8	0	0	207
7	छत्तीसगढ़	2021	58228	15146	8269	42393	124036
		2022	64589	12994	18178	36669	132430
		2023	65180	16670	10701	39657	132208
		2024	79669	38018	19244	50521	187452
8	दादरा और नगर	2021	94	0	0	0	94

	हवेली तथा दमन और दीव	2022	24	1	0	0	25
		2023	115	1	0	0	116
		2024	16	0	1	3	20
9	दिल्ली	2021	52	34	0	0	86
		2022	1	1	0	0	2
		2023	58	1	0	0	59
		2024	2	0	0	0	2
10	गोवा	2021	9	17	19	44	89
		2022	59	79	20	51	209
		2023	15	59	9	19	102
		2024	51	123	49	71	294
11	गुजरात	2021	18655	11458	20162	33453	83728
		2022	22062	10114	26992	39934	99102
		2023	8585	8122	11502	40443	68652
		2024	20457	11771	42436	58632	133296
12	हरियाणा	2021	49771	9533	26312	7800	93416
		2022	11376	5479	11015	3419	31289
		2023	5525	4150	5111	5676	20462
		2024	4541	4652	4308	8294	21795
13	हिमाचल प्रदेश	2021	14011	2505	1046	39810	57372
		2022	13429	2454	1101	40287	57271
		2023	18806	1981	1229	45408	67424
		2024	21478	2020	1529	61502	86529
14	जम्मू और कश्मीर	2021	24596	5770	1882	47406	79654
		2022	15712	3392	117145	48650	184899
		2023	18074	3641	63172	68254	153141
		2024	32650	3464	15524	68619	120257
15	झारखंड	2021	64934	1120	30910	276758	373722
		2022	26536	1135	11019	134209	172899
		2023	2313	329	873	196	3711
		2024	30117	334	2680	170202	203333
16	कर्नाटक	2021	184651	22713	261330	225920	694614
		2022	130601	20289	184600	210779	546269
		2023	121275	20478	112191	236151	490095
		2024	131159	24095	82152	225505	462911
17	केरल	2021	44219	14921	36293	114631	210064
		2022	28066	13237	28407	92946	162656
		2023	39411	22604	50404	138275	250694
		2024	34659	17903	44504	133381	230447
18	लद्दाख	2021	1230	34	10	1301	2575
		2022	1354	52	13032	2151	16589

		2023	1432	80	13358	2341	17211
		2024	1649	55	1404	880	3988
19	लक्षद्वीप	2021	2	1	0	0	3
		2022	3	12	0	0	15
		2023	0	15	0	0	15
		2024	1	1	0	0	2
20	मध्य प्रदेश	2021	164941	7118	55776	170692	398527
		2022	256949	14626	33066	90399	395040
		2023	89359	10632	28457	87719	216167
		2024	97254	8143	19602	62983	187982
21	महाराष्ट्र	2021	7220	1796	25399	10907	45322
		2022	21390	5800	39279	11747	78216
		2023	18905	3960	31753	10131	64749
		2024	21216	3449	18775	10315	53755
22	मणिपुर	2021	6256	1703	42	1990	9991
		2022	712	216	20	362	1310
		2023	3312	1393	17	1633	6355
		2024	4804	1625	48	2108	8585
23	मेघालय	2021	3540	659	175	3689	8063
		2022	3374	408	134	2900	6816
		2023	4340	681	251	4128	9400
		2024	5690	658	279	5832	12459
24	मिजोरम	2021	6499	405	1025	3842	11771
		2022	5407	294	292	2431	8424
		2023	8162	243	436	3903	12744
		2024	7903	168	628	5504	14203
25	नगालैंड	2021	323	38	41	248	650
		2022	506	256	41	520	1323
		2023	785	254	82	1081	2202
		2024	242	94	31	626	993
26	ओडिशा	2021	76114	13571	12018	89543	191246
		2022	88375	18338	19769	103558	230040
		2023	78342	16494	13731	61291	169858
		2024	63394	11396	11728	50984	137502
27	पुदुचेरी	2021	6	461	0	2	469
		2022	5	603	0	6	614
		2023	265	874	0	14	1153
		2024	41	726	12	8	787
28	पंजाब	2021	1719	6613	1356	10611	20299
		2022	2357	6879	859	9820	19915
		2023	2396	7351	2072	13700	25519

		2024	2732	7943	1575	12759	25009
29	राजस्थान	2021	178187	19693	1702	74852	274434
		2022	76121	13642	7816	42664	140243
		2023	147566	15989	3635	24305	191495
		2024	144051	18725	2956	35224	200956
30	सिक्किम	2021	944	15	443	1886	3288
		2022	705	43	578	2059	3385
		2023	5763	30	454	1926	8173
		2024	462	12	566	2133	3173
31	तमिलनाडु	2021	208835	14935	204342	101805	529917
		2022	104126	13327	245488	71057	433998
		2023	111432	19813	184761	97762	413768
		2024	74992	5459	78434	126678	285563
32	तेलंगाना	2021	3689	4646	9498	6045	23878
		2022	13286	11254	56055	30465	111060
		2023	14665	13669	51047	27317	106698
		2024	14167	21030	25581	26080	86858
33	त्रिपुरा	2021	33331	995	1662	38551	74539
		2022	15604	634	1127	26287	43652
		2023	25703	740	2283	17544	46270
		2024	26355	413	2644	16401	45813
34	उत्तर प्रदेश	2021	86599	35944	44610	407109	574262
		2022	112283	53502	39264	494147	699196
		2023	101619	45078	49372	401270	597339
		2024	113349	41321	26964	515519	697153
35	उत्तराखंड	2021	17340	4623	2559	40895	65417
		2022	30559	5069	2734	44491	82853
		2023	134487	3334	1239	34262	173322
		2024	15730	3335	1482	38914	59461
36	पश्चिम बंगाल	2021	121236	55813	39433	73871	290353
		2022	22455	7912	1323	9108	40798
		2023	1438	346	19	272	2075
		2024	228	60	1	36	325
कुल योग			5266380	1149872	2840719	6848567	16105538

स्रोत: जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in)
